अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

पत्रिका

जुलाई 2007 केवल सदस्यों के लिए मूल्य 3 रूपए

देश की हजारों आंगनवाड़ी महिलाओं ने दिल्ली पहुंच कर गिरफ्तारी दी

भारत सरकार को अपनी मांगों को मानने पर मजबूर करने के लिए देश भर से हजारों आंगनवाड़ी महिलाओं ने राजधानी दिल्ली पहुंच कर गिरफ्तारी दी। आखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन (सीटू) के झण्डे तले लगभग दस हजार महिलाओं ने जंतर मंतर में रैली करने के बाद संसद की ओर कूच किया। संसद मार्ग थाने के आगे खड़े किए गए अवरोधों को तोड़ कर और उनके ऊपर से कूद कर ये महिलाएं थाने में दाखिल हो गईं जहां उन्होंने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे, सचिव एवं संसद सदस्य तपन सेन, सचिव दीपंकर मुखर्जी, आंगनवाड़ी फैडरेशन की अध्यक्षा नीलिमा मैत्र, महासचिव हेमलता तथा कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल थीं।

आंगनवाड़ी महिलाओं का संसद की ओर मार्च शुरू होने से पहले सर्वसाथी पंधे, तपन सेन, दीपंकर मुखर्जी, हेमलता के साथ–साथ संसद सदस्यों सांताश्री चटर्जी, सती देवी, सुजाता, डाक्टर बाबू राव ने रैली स्थल पर पहुंच कर आंगनवाड़ी महिलाओं के संघर्ष का समर्थन किया और आश्वासन दिया कि वे उनकी मांगों को संसद में उठाएंगे और सरकार को उन पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर देंगे। सीआइटीयू के अध्यक्ष कामरेड एम के पन्धे ने रैली को सम्बोधित करते हुए भारत सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार एक ओर से सेज अथवा विशेष आर्थिक अंचलों के लिए 90 हजार करोड़ रुपए की सुविधाएं देने के लिए व्यग्र है किन्तु दूसरी ओर आंगनवाड़ी कर्मचारियों की उचित मांगों को मानने के लिए उसके पास धन नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब कभी आंगनवाड़ी कर्मचारी अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं तब सरकार उन्हें कोरे आश्वासन देकर अपना फर्ज़ पूरा कर लेती है।

कामरेड पंधे ने कहा कि हर बार आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ वादे किए जाते हैं, किन्तु वो वादे सदा वादे ही बने रहते हैं, उन्हें कभी अमल में लाया नहीं जाता। फैडरेशन की महासचिव तथा सीआइटीयू की सचिव हेमलता ने रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारा संघर्ष बहुत लम्बा है। सरकार को अपनी मांगें मानने पर मजबूर करने के लिए हमें अपने संगठन की ताकत बढ़ानी होगी। हमें मेहनतकश अवाम की दूसरी श्रेणियों को भी अपने साथ लेकर चलना होगा। हम केवल अपनी मांगों के लिए ही संघर्ष नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारी लड़ाई सरकार की आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए है। सरकार के पास बड़े पूंजीपतियों को माला माल करने के लिए तो पैसे हैं किन्तु खून पसीना एक करके देश तथा समाज की सेवा करने वाली इन गरीब महिलाओं के लिए कोई पैसा नहीं है।

वक्ताओं ने यूपीए सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केवल 3,500 रुपए प्रति मास वेतन (मानदेय) देने के लिए वह सदा संसाधनों की कमी का रोना रोने लग जाती है, किन्तु नैगम घरानों को लाखों करोड़ें रुपए की रियायतें देते समय उसके पास संसाधनों की कमी नहीं होती। फैडरेशन की अध्यक्ष नीलिमा मैत्रा ने रैली की अध्यक्षता की।

संसद मार्ग पुलिस थाने का अहाता आंगनवाड़ी महिलाओं से खचा खच भरा हुआ था। इस पर भी अनेक महिलाएं अंत तक पुलिस थाने में प्रवेश करती रहीं। थाने में हुए इस जमावड़े ने रैली का रूप धारण कर लिया जिसे पंधे, तपन सेन, दीपंकर मुखर्जी तथा हेमलता इत्यादि नेताओं ने सम्बोधित किया। इन नेताओं ने जोर देकर कहा कि आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं सरकार के किसी भी जोर–जुल्म का डट कर सामना करेंगी और पुलिस दमन का सहारा लेकर उन्हें दबाया नहीं जा सकता। यह आंदोलन उस समय तक जारी रहेगा जब तक इनकी सभी मांगें मान नहीं ली जातीं। हेमलता ने इस अवसर पर कहा कि आज यदि कोई संसद सदस्य सेवानिवृत होता है तो उसे पूरी पेन्शन मिलती है किन्तु 25–25 साल तक समाज की सेवा करने वाली इन आंगनवाड़ी महिलाओं को कोई पेन्शन नहीं दी जाती और इस तरह बुढ़ापे में गुजर–बसर के लिए उनके पास कोई आर्थिक साधन नहीं होता। उसे केवल कोरे आश्वासन दिए जाते हैं।

याद रहे, प्रधान मंत्री ने अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका महासंघ के एक प्रतिनिधि मण्डल को जिसका नेतृत्व सीताराम येचुरी, तपन सेन, बासुदेव आचार्य और दिवंगत चित्तब्रत मजुमदार (सभी सांसद) कर रहे थे, 3 अगस्त 2006 को आश्वासन दिया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी और जिन्हें 'सेवा निवृत्त' होने के लिए कहा जाएगा, उन्हें *'विदाई उपहार'* दिया जाएगा। लेकिन, प्रधान मंत्री के इन आश्वासनों को पूरा करने के लिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

8 अगस्त 2007

असंगठित क्षेत्र मजदूरों की अखिल भारतीय आम हड़ताल

सत्ता में आए हुए तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी यूपीए सरकार असंगठित क्षेत्र मजदूरों के लिए सर्वसमावेशी कानून लाने में असफल है। बल्कि मंत्री ने घोषणा की है कि वे असंगठित क्षेत्र मजदूरों के लिए एक नई योजना ला रहे है। इसी परिप्रेक्ष्य में सीटू जनरल काउंसिल ने निर्णय लिया कि वे असंगठित क्षेत्र मजदूरों की लंबित मांगों पर 8 अगस्त 2007 को देशव्यापी एक दिवसीय आम हड़ताल करेंगे। उनकी मुख्य मांगें हैं – (1) न्यूनतम वेतन, (2) महिला मजदूरों को समान वेतन और (3) असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सेवा शर्तो, रोजगार संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों के सिलसिले में तमाम केन्द्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा सर्वसम्मति से की गई सिफारिशों के अनुसार उनके लिए फौरन एक सर्वसमावेशी केन्द्रीय कानून बनाया जाए।

सीआईटीयू ने 8 अगस्त की आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए प्रदर्शनों, धरनों, रैलियों रास्ता रोको इत्यादी विभिन्न प्रकार से विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजदूर वर्ग का आह्वान किया।

हिन्दी भाषी राज्यों के नेताओं की बैठक

हिन्दी भाषी राज्यों की आंगनवाड़ी यूनियनों के नेतृत्वमंडल की बैठक 8 अप्रैल 2007 को दिल्ली में हुई। 10 राज्यों (छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) से 19 साथियों और केंद्र के साथियों ने बैठक में भाग लिया। आइफा की अध्यक्षा नीलिमा मैत्रा ने बैठक की अध्यक्षता की।

आइफा की महासचिव हेमलता ने हिन्दी भाषी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की यूनियनों को मजबूत बनाने और उनका विकास करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिन्दी भाषी क्षेत्र में 50 प्रतिशत से भी अधिक आंगनवाड़ी केंद्र और कर्मचारी कार्यरत है, परन्तु इन क्षेत्रों में आइफा की सदस्यता बहुत ही कम है। उन्होंने इन राज्यों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की स्थानीय समस्याओं पर ज़ोर दिया। उन्होनें कहा कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा परियोजना, जिला व राज्य स्तर की बहुत सी समस्याओं का सामना करने के कारण हम सरकार से उनका वेतन बढ़ाने और उनकी सेवाओं को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। हिन्दी भाषी क्षेत्र के बहुत से राज्यों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को प्राप्त अधिकार जैसे मातृत्व अवकाश, सामूहिक बीमा, सालाना अवकाश, टीए /डीए इत्यादी भी उनको नही मिल पा रहे। बहुत से राज्यों में पूरक पोषण आंगनवाड़ी केंद्रों में पहुंचानें की बजाय परियोजना अफसर कार्यकताओं को पोषण उनके दफ्तर से लाने को बाध्य करते हैं और वह भी किसी यात्रा भत्ते का भुगतान किए बिना। आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को कारण बताए बगैर ही नौकरी से निकाल दिया जाता है। जिन राज्यो में पूरक पोषण की पूर्ति स्वंय सहायता समूहों के हाथ में है, उन राज्यों में लाभार्थियों द्वारा बहुत सी शिकायतें मिल रहीं हैं कि उन्हें पूरक पोषण आवश्यक मात्रा में नही मिल रहा है, और इसकी गुणवत्ता भी अच्छी नही है।

हाल ही में सरकार ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए धन को माता कमेटियों के सचिव / अध्यक्ष और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के नाम पर खोले गए खाते में जमा किया, ताकि भोजन स्थानीय स्तर पर तैयार किया जा सके। बैठक में भाग लेने वाले सभी भागीदारों ने कहा कि यह व्यवस्था धन के बंटवारे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, ताकि असल लाभार्थी को कुछ भी प्राप्त न हो सके। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस समस्या को केंद्रीय और स्थानीय दोनों ही स्तरों पर संबोधित करने की आवश्यकता है। नोट में भी इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि लक्षित कार्यक्रमों को एक समय अवधि में उठाने के आवश्यकता है। कुछ राज्यों में यद्यपि कुछ यूनियने संघर्ष कर रही थीं, जिससे आंगनवाड़ी कर्मचारियों के कुछ लाभ भी प्राप्त हो सके परन्तु इससे यूनियन की सदस्यता पर कोई प्रभाव नही पड़ा। बैठक में कार्यकर्ताओं के अभाव के चलते इस कमजोरी से शीघ्र ही बाहर आने पर भी जोर दिया गया। बैठक में जून 2008 के अंत तक निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए साथियों ने स्वंय ही कार्य निर्धारित किए।

आइफा की कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु ने सदस्योंकी सूची बनाकर और नियमित रूप से जांच करवाकर खाते का रखरखाव ठीक प्रकार से किए जाने पर ज़ोर दिया। बैठक में प्रधानमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री के आश्वासन दिए जाने के बावजूद आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों पर सरकार के रवैये पर भी विचार किया गया। कार्यकारिणी कमेटी द्वारा बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान 8 मई 2007 को संसद मार्च करने का निर्णय लिया गया।

आइफा कार्यकारिणी कमेटी

संसद मार्च के अगले ही दिन 9 मई 2007 को आइफा की कार्यकारिणी कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, और उत्तर प्रदेश – 11 राज्यों के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता फैडरेशन की अध्यक्षा नीलिमा मैत्रा ने की। बैठक में 8 मई को मार्च में भाग लेने वाले साथियों को बधाई दी और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पांडीचेरी और बिहार जैसे मजबूत राज्यों से किसी भी प्रतिनिधि के मार्च में भाग न लेने पर दुःख जताया गया।

हेमलता ने बताया कि 8 मई को प्रधानमंत्री जी के दिल्ली में न होने के कारण हम उनसे मिल नही सकें। प्रधानमंत्री के दफ्तर से सूचना मिली कि हम 10 मई को उनसे मिल सकते है। हमने महिला एवं बाल विकास मंत्री से भी मिलने का प्रयत्न किया, परन्तु वे इतनी व्यस्त थीं, कि हमारी समस्याऐं सुनने के लिए उनके पास समय ही नही था।

फैडरेशन की कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु ने, एकाउंट का भली भांति रखरखाव और पारदर्शिता रखने के लिए कहा। बैठक में उपस्थित साथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यकारिणी कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से निम्न कार्य स्वीकार किए गए:

1. 10 जुलाई 2007 को अखिल भारतीय मांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल। उस दिन आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने के अलावा परियोजना / जिला स्तर पर रास्ता रोको, धरने, पुतले जलाना और किसी अन्य प्रकार से प्रदर्शन।
2. पांचवें अधिवेशन के निर्णयानुसार हड़ताल के बाद मध्यावधि समीक्षा।
3. कमेटी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सदस्यता अभियान बढ़ाना।
4. हिन्दी भाषी राज्यों में सभी राज्य कमेटियों द्वारा केवल अपने पहचाने हुए कार्यकर्ताओं को 18 से 22 मई 2007 तक, चण्डीगढ़ में होने वाली राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कक्षा में भेजना।

सांसद वृंदा कारात और तपन सेन, के साथ एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें फैडरेशन की अध्यक्षा, महासचिव और कोषाध्यक्ष– नीलिमा मैत्रा, हेमलता और ए आर सिंधु शामिल थीं, 10 मई को प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री ने कोई ठोस आश्वासन नही दिया, परन्तु कहा कि वे महिला एवं बाल विकास मंत्री से बात करेगें और देखेगें कि क्या हो सकता है ? वृंदा कारात और तपन सेन ने आश्वासन दिया कि वे संबंधित मंत्री के इस साथ मुद्दे को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगें।

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन की मध्यावधि समीक्षा 15 से 17 अगस्त 2007 को नागपुर, महाराष्ट्र में होगी।

सीआइटीयू जनरल कौंसिल ने देशव्यापी संघर्षों का कार्यक्रम बनाया

तपन सेन

कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में पिछली 27 से 30 मई तक हुई सीआइटीयू जनरल कौंसिल की बैठक इस जोरदार आह्वान के लिए सम्पन्न हुई कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए फौरन एक सर्वसमावेशी कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की खातिर पूरे असंगठित क्षेत्र में 8 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल हो। केन्द्र में सत्ता सम्भालते हुए यूपीए सरकार ने अपनी जनता से यह वादा किया था और इसे साफ तौर पर साझा न्यूनतम कार्यक्रम में रखा गया था।

सीआइटीयू जनरल कौंसिल ने यह नोट किया कि यूपीए गठबंधन खेत मजदूरों तथा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक *"सर्वसमावेशी संरक्षणात्मक कानून"* के अपने वादे का मजाक बना रही है। सत्ता में आने के तीन साल बीत जाने के बावजूद यह वादा उसकी प्राथमिकता सूची में नहीं आ पाया है। और अब हर तरफ से बढ़ती आलोचना के दृष्टिगत सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए भारी मन से इस सिलसिले में कुछ कबायद करने में लगी है।

प्राप्त समाचारों के अनुसार असंगठित क्षेत्र सम्बन्धी विधेयक को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने अपनी स्वीकृति दे दी है। किन्तु इसमें असंगठित क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ कल्याणकारी योजनाओं पर कुछ पवित्र इरादों से सम्बन्धित एक सामान्य बयान के अलावा यह कुछ भी नहीं है।

इसमें कोष की व्यवस्था, कानून को लागू करने वाली व्यवस्था अथवा सरकारी तंत्र और तमाम असंगठित क्षेत्र की श्रम शक्ति की गारंटीयुक्त कवरेज के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है; जिनके बिना यह विधेयक, किसी कानूनी किताब के कुछ पन्नों के अलावा और कुछ नहीं होगा। ठोस उपायों और प्रावधानों को लेकर सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने सर्वसम्मत सिफारिशें की थीं, जिन्हें विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए था। किन्तु इन सिफारिशों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। सीआइटीयू जनरल कौंसिल ने कहा है कि यह असंगठित क्षेत्र में 93 प्रतिशत श्रम शक्ति को झांसा देने के अलावा कुछ नहीं है, जो देश के बढ़ते सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 65 प्रतिशत से अधिक का योगदान देते हैं। इसलिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर 8 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल की कार्रवाई करके अपना जोरदार विरोध दर्ज कराएंगे और संगठित क्षेत्र के मजदूर इस दिन देश भर में एकजुटता प्रदर्शनों का आयोजन करेंगे और आगामी जुलाई में होने वाले संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन सीआइटीयू की ओर से देश की राजधानी समेत देश भर में जोरदार प्रदर्शनों और रैलियों का आयोजन किया जाएगा और इसके माध्यम से *"अखिल भारतीय मांग दिवस"* मनाया जाएगा।

उद्घाटन सत्र

सीआइटीयू जनरल कौंसिल की बैठक 27 मई, 2007 को सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे द्वारा सीआइटीयू का झण्डा फहराए जाने और नेताओं तथा जनरल कौंसिल के सदस्यों द्वारा शहीद बेदी पर पुष्पांजलि अर्पित किए जाने के साथ शुरू हुई।

जनरल कौंसिल ने सर्वसम्मति से कामरेड मोहम्मद अमीन को महासचिव चुना। कामरेड चित्तब्रत मजुमदार के 21 फरवरी को हुए असामयिक निधन के चलते यह पद खाली पड़ा था। जनरल कौंसिल ने खाली पड़े उपाध्यक्ष के एक पद के लिए कामरेड बासुदेव आचार्य का चुनाव किया। स्वागत समिति के अध्यक्ष सुभाष चक्रवर्ती ने अपने स्वागत भाषण में जनरल कौंसिल को पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। उनका कहना था कि पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार, नव–उदारवादी नीतिगत ढांचे द्वारा थोपी गई सीमाओं और दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावादी तथा उग्रवादी शक्तियों द्वारा चलाए जा रहे कुत्सा प्रचार का मुकाबला करते हुए जन परस्त शासन देने के बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम दे रही है।

उनका कहना था कि राज्य में मजदूर वर्ग तथा जनवादी आंदोलन, वाम मोर्चा के बचाव में सड़कों पर है और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के शारीरिक हमलों का बहादुरी से सामना कर रहा है और शहादत तथा बेदखली आदि को गले लगा रहा है।

सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे ने अध्यक्षीय भाषण दिया। उन्होंने विस्तार से अन्तर्राष्ट्रीय घटनाविकास पर प्रकाश डाला। उनका कहना था कि एक तरफ तो अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी शक्तियां अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए आक्रमक हो रही हैं और बौखलाई हुई हैं और दूसरी तरफ इन साम्राज्यवादी षडयंत्रों के खिलाफ दुनिया भर में प्रतिरोध बढ़ रहा है। इस प्रभुत्ववादी आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ यह प्रतिरोध जनता की विरोध की बुलंद आवाज और शोषित–पीड़ित वर्गों के कड़े संघर्ष के रूप में सामने आ रहा है।

इसलिए जरूरत इस बात की है कि मजदूर वर्ग का आंदोलन अपने संघर्ष की साम्राज्यवाद विरोधी धार को तेज करे और साम्राज्यवाद के अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता आंदोलन को मजबूत करने में प्रभावी भूमिका निभाए।

सीआइटीयू के महासचिव मोहम्मद अमीन ने महासचिव की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में एक तरफ तो विस्तार से राष्ट्रीय स्तर के घटना विकास और राजनीतिक स्तर पर यूपीए सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों को रोकने में वामपंथी शक्तियों की भूमिका पर और दूसरी ओर देशव्यापी लामबंदी और संघर्ष के जरिए शोषित–पीड़ित जनता के जीवन यापन के अधिकार की रक्षा के लिए मजदूर वर्ग के आंदोलन की अग्रगामी भूमिका पर प्रकाश डाला गया था।

रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल की कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का लाभ उठाते हुए देश भर में वाम पंथी शक्तियों के खिलाफ प्रतिक्रियावादी और उग्रवादी शक्तियों द्वारा छेड़े गए कुत्सापूर्ण अभियान का खास तौर पर जिक्र किया गया था। इस कुत्सापूर्ण अभियान का एक ही मकसद है – वाम पंथी तथा जनतांत्रिक राजनीति को कमजोर करना और उसकी तमाम उपलब्धियों को कमतर करके दिखाना ताकि नव–उदारवाद की जन विरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष को कमजोर किया जा सके।

रिपोर्ट में यूपीए सरकार द्वारा उन्हीं आर्थिक नीतियों को लागू करने पर चिंता जाहिर की गई थी, जिन आर्थिक नीतियों को पूर्ववर्ती एनडीए सरकार लागू कर रही थी।

इसके चलते महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है; बेरोजगारी बढ़ रही है; कृषि में संकट गहराता जा रहा है और किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं ओर इस तरह एक साधारण व्यक्ति के जीवन और जीवन यापन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया था कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर में बढ़ोतरी और देश में अरबपतियों की बढ़ती संख्या में बढ़ोतरी के साथ बढ़ती गरीबी ओर बढ़ती बेरोजगारी की प्रवृति, आर्थिक नीति की विकृति और उसके अस्थायित्व के बारे में काफी कुछ कह देती है।

रिपोर्ट का कहना था कि जरूरत इस बात की है कि नीतियों की दिशा बदले और वे और ज्यादा समतापूर्ण वितरण की दिशा अख्तियार करे। सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किए गए जन परस्त वादों को लागू नहीं करना

चाहती और उसकी तमाम नीतिगत पहलकदमियां विपरीत दिशा में जा रही हैं जिन्हें पिछले बजट प्रस्तावों ने बेनकाब कर दिया हैं

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से सम्बन्धित विधेयक की बड़ी चर्चा है, जिसे मंत्रिमण्डल ने अपनी स्वीकृति दे दी है। अपनी मौजूदा रूप में यह शब्दों की बाजीगरी के अलावा कुछ नहीं है, जिससे मजदूरों को कोई लाभ नहीं होने जा रहा। इसके साथ ही साथ ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आंदोलन पर देश में तकरीबन हर जगह मालिकों के बर्बर हमले हो रहे हैं, जिन्हें अधिकतर राज्य सरकारों का प्रत्यक्ष समर्थन हासिल है।

रिपोर्ट में आर्थिक नीतियों के खिलाफ जनता के दूसरे तबकों के साथ मिल कर मजदूरों द्वारा देशव्यापी संयुक्त कार्रवाई किए जाने की फौरी जरूरत पर जोर दिया गया था और सीआइटीयू इस दिशा में पहल करेगी। रिपोर्ट में आने वाले दिनों में आंदोलनात्मक दिशाओं का खाका पेश किया गया था, जिसमें अनेकानेक क्षेत्रीय स्तर की कार्रवाईयां शामिल हैं, जो सम्पूर्ण मज़दूर वर्ग की देशव्यापी एकजुट कार्रवाई में अपने उत्कर्ष पर पहुंचेंगी।

रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया था कि मजदूरों और किसानों को उदारीकरण विरोधी संघर्ष को एक जन आंदोलन में बदलने के लिए एकजुट होकर चलना होगा और सीआइटीयू को इस दिशा में काम करना चाहिए।

बिरादराना ट्रेड यूनियन संगठनों के नेताओं – आल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसिएशन के कामरेड के वेणुगोपाल, बीएसएनएल एम्पलाईज़ यूनियन के मिहिर दासगुप्त, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमैंट एम्पलाईज़ फैडरेशन के प्रबीर सेनगुप्त, आल इंडिया डिफेंस एम्पलाईज़ फैडरेशन के नेता शैल भट्टाचार्य, आल इंडिया इनकम टैक्स एम्पलाईज़ फैडरेशन के साथी के के एन कुट्टी, आल इंडिया आर एम एस/एम एस एस एम्पलाईज़ एसोसिएशन के नेता सी सी पिल्लै, आल इंडिया आर आर बी एम्पलाईज़ एसोसिएशन के नेता दिलीप मुखर्जी ओर एफ एम आर ए आइ के नेता अमिताव गुहा – ने जनरल कौंसिल को बधाई दी और उसके साथ एकजुटता व्यक्त की।

रिपोर्ट पर बहस

28 तथा 29 मई को सीआइटीयू जनरल कौंसिल ने महासचिव की रिपोर्ट पर विचार–विमर्श किया। इस बहस मे विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों के 48 सदस्यों ने भाग लिया। बहस में भाग लेने वाले वक्ताओं ने वामपंथी शक्तियों के खिलाफ कुत्सापूर्ण अभियान को जोरदार ढंग से ठुकराने में मजदूर वर्ग के आंदोलन द्वारा अदा की जा रही अग्रगामी भूमिका की समझदारी पर आम सहमति व्यक्त की। उनका कहना था कि वाम पंथी शक्तियां शोषित–पीड़ित जनता के आंदोलन की राजनीति का प्रतिनिधित्व करती हैं।

भयंकर ठेकाकरण की बुराई और विभिन्न रूपों में आउटसोर्सिंग के खिलाफ, संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम को संशोधित करने के लिए वैकल्पिक प्रस्तावों के साथ, देशव्यापी संघर्ष छेड़ने के लिए संविदा श्रमिकों की एक अखिल भारतीय कन्वेंशन आयोजित करने, जैसा कि सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन में तय किया गया था, के लिए वक्ताओं ने फौरी कदम भी सुझाए। बहस के दौरान असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल का प्रस्ताव भी सामने आया।

विभिन्न उद्योगवार फैडरेशनों–आल इंडिया फैडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स, स्टील वर्कर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया बीड़ी वर्कर्स फैडरेशन, वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाईज़ फैडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फैडरेशन, पैट्रोलियम एण्ड नेचुरल गैस वर्कर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया फिशरीज़ वर्कर्स फैडरेशन – के नेतृत्व ने भी बहस में सक्रिय रूप से भाग लिया और देशव्यापी संयुक्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्रवार कार्रवाईयों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर पहले से की जा चुकी पहलों के बारे में भी बताया।

वक्ताओं ने इन तमाम क्षेत्रवार कार्रवाईयों को समन्वित करने के लिए और दूसरी ट्रेड यूनियनों तथा फैडरेशनों के साथ मिल कर सम्पूर्ण मजदूर वर्ग के देशव्यापी एकजुट आंदोलन के लिए योजना बनाने के लिए सीआइटीयू द्वारा की गई फौरी पहल पर भी विचार किया। उन्होंने आर्थिक नीति और सम्बन्धित मुद्दों के खिलाफ मजदूरों–किसानों की संयुक्त कार्रवाई के लिए पहले से की जा चुकी इस पहल को और आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उपरोक्त सुझावों के आधार पर जनरल कौंसिल भविष्य की कार्रवाई के कार्यक्रम को अंतिम रूप देगी। *(कार्यक्रम पृष्ठ 16 पर)*

सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे ने अपने समापन भाषण में आंदोलनों और संगठन के सिलसिले में जनरल कौंसिल द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए सीआइटीयू के हर स्तर पर ठोस पहलकदमियां करने पर जोर दिया।

उनका कहना था कि साम्राज्यवादी कोशिशों और प्रभुत्वकारी षडयंत्रों के खिलाफ दुनिया भर में प्रतिरोध बढ़ रहा है, जो शोषित–पीड़ित जनता की विभिन्न लामबंदियों और संगठित कार्रवाईयों के रूप में सामने आ रहा है और इस पृष्ठभूमि में, दुनिया भर में वामपंथी विचारधाराएं प्रमुखता हासिल कर रही हैं और पूंजीवादी व्यवस्था की अक्षमता बेनकाब हो रही है। वह व्यवस्था के अपने संकट को हल नहीं कर पाई है, जो सारे आर्थिक विकास के बावजूद व्यापक दरिद्रता, असमानता तथा बेरोजगारी के रूप में सामने आ रहा है।

उनका कहना था कि इस पृष्ठभूमि यह स्वाभाविक है कि वामपंथ के विरोधी, मीडिया, साम्राज्यवादी शिविर के सिद्धांतकार और खुद पूंजीवाद सांगठनिक और विचारधारात्मक रूप से वामपंथी शक्तियों को बदनाम करने और उन्हें अलग–थलग करने के लिए अपने प्रयास दुगने कर दे।

उनका कहना था कि हमें अपने देश में और खास तौर पर पश्चिम बंगाल और दूसरे वामपंथ शासित राज्यों के मामले में वाम पंथी शक्तियों के खिलाफ मौजूदा हमले के असली महत्त्व को समझना होगा। पंधे का कहना था कि मजदूर वर्ग का आंदोलन, जो कि वाम पंथी सोच की जीवन रेखा है, को पूंजीवाद के सांगठनिक तथा विचारधारात्मक हमले का मुकाबला करने के लिए अपने आपको तैयार करना होगा और इस सिलसिले में जनरल कौंसिल द्वारा लिए गए निर्णयों को पूरी गम्भीरता से लागू करना होगा।

अंत में मजदूर वर्ग के वयोवृद्ध नेता कामरेड समर मुखर्जी ने स्वागत समिति द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन किया। स्वागत समिति के महासचिव रंजीत कुण्डू ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

सीआइटीयू के 37वें स्थापना दिवस पर 30 मई को साल्ट लेक सेंट्रल पार्क में एक विशाल जन सभा हुई। पश्चिम बंगाल सीआइटीयू के अध्यक्ष श्यामल चक्रवर्ती ने इस सभा की अध्यक्षता की। सीआइटीयू और जनवादी आंदोलन के वयोवृद्ध नेता ज्योति बसु, सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे, महासचिव मोहम्मद अमीन, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, सीआइटीयू की पश्चिम बंगाल राज्य समिति के महासचिव काली घोष, पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री सुभाष चक्रवर्ती, सांसद अमिताव नंदी और रंजीत कुण्डू ने जन सभा को सम्बोधित किया।

मुम्बई

मुम्बई के आज़ाद मैदान में 22 मार्च 2007 को एक विशाल विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से भाग लिया। उनकी मुख्य मांग थी, वेतन वृद्धि। वे प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य लाभ और पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों की भी मांग कर रहे थे। यह प्रदर्शन सीटू से संबद्धित आंगनवाड़ी कर्मचारी संघटना द्वारा आयोजित किया गया था। यूनियन ने सरकार के पास एक मांगपत्र जमा किया और इसके पालन के बारे में पूछा।

महाराष्ट्र शलेय आहार कामगार संघटना ने भी उसी दिन आज़ाद मैदान में एक अन्य प्रदर्शन आयोजित किया। मिड डे मील कर्मचारियों के इस संग्ठन ने सरकार के पास मांगपत्र जमा किया कि स्कूल के बच्चों के लिए मिड डे मील की तैयारी में इन कर्मचारियों की भागीदारी को कम न किया जाए। उन्होंने उनके वेतन में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा लाभों की भी मांग की।

आंगनवाड़ी यूनियन की महासचिव शुभा शमीम, मिड डे मील कर्मचारियों के नेता और सीटू के अन्य नेताओं ने जनसमूह को संबोधित किया।

यूनियन के नेताओं के साथ बैठक में एग्रीमेंट पहुंचने के बावजूद आंगनवाड़ी कर्मचारियों को पेंशन देने से हाथ खींचने पर सरकार की आलोचना की और मांग की कि इन महिला मजदूरों की जायज़ मांगों को तुरन्त पूरा किया जाए।

हिमाचल में रैली

शिमला में 30 मार्च 2007 को पूरे हिमाचल प्रदेश के आंगनवाड़ी कर्मचारी राज्य विधान सभा के सामने एकत्र हुए। कांगड़ा और सिरमौर जैसे सुदूर के इलाकों से भी आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने रैली में भाग लिया। रैली की अध्यक्षता यूनियन की अध्यक्षा सरोज शर्मा ने की।

यूनियन की महासचिव इंन्दिरा देवी, सीटू राज्य कमेटी के महासचिव कश्मीर सिंह ठाकुर और सीटू व यूनियन के अन्य नेताओं ने जनसमूह को संबोधित किया। उन्होनें कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जोकि पहले सुपरवाइज़र के रिक्त पदों को योग्य आंगनवाड़ी कर्मचारियों से भरने के लिए तैयार थी, परन्तु अब अपने वादे पीछे हटना चाहती है, और आरक्षण कम करना चाहती है। हिमाचल प्रदेश की आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका यूनियन ने इसका कड़ा विरोध किया और रैली आयोजित की। यूनियन ने राज्य सरकार द्वारा भुगतान किए जा रहे वेतन को बढ़ाने जैसी स्थानीय मांगें भी उठाईं।

सरकार ने यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया और बहस के बाद अंत में सुपरवाइज़र पदों की भर्ती के लिए आंगनवाड़ी कर्मचारियों को 90 प्रतिशत आरक्षण देने और सेविकाओं का वेतन 100रू और सहायिकाओं का वेतन 50रू बढ़ाने के लिए सहमत हुई।

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में राजनंदगांव के छुरिया, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़ एवं राजनंदगांव परियोजना के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने हजारों की संख्या में दिन भर अपने केन्द्रों को बंद रख कर 18 अप्रैल को मजदूर–किसान दिवस पर आयोजित रैली में भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन अरुणा वैष्णव, माया ओझा, जमुना बंदे, रत्ना साहू, चंदा बारमाटे तथा नीता शुक्ल ने किया। सभा के मुख्य वक्ता सीआइटीयू नेता कामरेड वकील भारती थे।

आंगनवाड़ी राज्य समिति की सचिव कामरेड गजेन्द्र झा ने भी उपस्थिति को सम्बोधित किया। सभा के अंत में जिलाधीश को एक ज्ञापन दिया गया। एक ज्ञापन जिला महिला बाल विकास अधिकारी को भी दिया गया और उनसे पोषण आहार वितरण की प्रक्रिया में फेरबदल करके महिला समूह द्वारा वितरण करने के तरीकों का विरोध जताया गया। धरने में जीवन बीमा निगम के साथियों ने भी भाग लिया।

मुरादाबाद

मई दिवस के अवसर पर लगभग 400 आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं विश्नोई धरमशाला, मोरादाबाद, उत्तर प्रदेश में एकत्र हुई। उन्होने अर्न्तराष्ट्रीय मई दिवस मनाते हुए शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए और मंडल स्तरीय बैठक की कार्रवाई शुरू की गई। मंडल स्तरीय बैठक में मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, चन्दौसी और बहजोई से आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने भाग लिया। वे भीषण गर्मी का सामना करते हुए बैठक में आईं, परन्तु फिर भी किसी के माथे पर शिकन तक नही थी।

बैठक की अध्यक्षता मोरादाबाद जिला आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका यूनियन की अध्यक्षा चमन आरा ने की। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और स्वंय सहायता समूहों द्वारा भोजन पकाने की राज्य सरकार की नई नीति से आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाओं पर बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है। न तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूरक पोषण की मात्रा या गुणवत्ता की सुरक्षा उनके हाथ सौंपी नही जाती , परन्तु यदि भोजन की गुणवत्ता या मात्रा के कारण किसी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा होती है तो उसकी उत्तरदायि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही होती है।

आने वाले समय में सेविकाएं और सहायिकाएं अपना वेतन केवल

पंचायत के हस्तक्षेप द्वारा ही पा सकेंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और गरीब बच्चे और आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं इसका शिकार बनेंगें।

सीटू राज्य कमेटी के महासचिव नरेंद्र पाल ने मई दिवस और मजदूर वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा के संघर्ष में इसका महत्व का विस्तार से वर्णन किया।

आइफा की कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु ने मई दिवस के अवसर पर मजदूरों को बधाई दी। उन्होनें कहा कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार की नीतियों के विरूद्ध संघर्ष करना ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों की बजाय केंद्रीय सरकार हाल के बजट में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन में एक पैसा भी बढ़ाने को तैयार नही है।

उन्होंनें आइफा के आहवान के अनुसार 8 मई 2007 को होने वाली ससंद मार्च में सक्रिय रूप से भाग लेकर संघर्ष बढ़ाने के लिए सेविकाओं और सहायिकाओं का आहवान किया।

आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका यूनियन की राज्य संयोजिका वीना गुप्ता, सीपीएस आज़ाद, मिथलेश, क्षमा मिश्रा, आयशा खातून इत्यादी ने बैठक को संबोधित किया।

दरभंगा में आंगनवाड़ी कार्मचारियों का जिला सम्मेलन

सीटू से संबद्धित 'बिहार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ' का दरभंगा जिला सम्मेलन 6 मई 2007 को लहरियासराय में हुआ। भीषण गर्मी सहते हुए जिले की परियोजनाओं से लगभग एक हजार आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने सम्मेलन में भाग लिया। धर्माशीला पांडे, इश्मात जहान और संगीता देवी, जोकि आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं, ने सम्मेलन की अध्यक्षता की।

सम्मेलन का उद्घाटन सीटू बिहार राज्य कमेटी के महासचिव अरूण मिश्रा ने किया। सम्मेलन मे भाग लेने वाले आंगनवाड़ी कर्मचारियों को बधाई देकर उन्होंने कहा कि मिथिला क्षेत्र में महिला मजदूरों के संघर्ष का यह एक ऐतिहासिक अवसर था। उन्होनें आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों पर समर्थन जताया और संगठन को मजबूत करने आगे आने वाले लम्बे संघर्ष के लिए मार्च करने के लिए कहा। उन्होने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, इत्यादी जैसे सामाजिक अनुभवों के बारे में भी बताया और ऐसी गतिविधियों से संघर्ष करने के प्रयत्नों के लिए संगठन को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया।

राज्य के जिला यूनिट के संयोजक और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समिति के संयोजक कालीकांत झा मुख्य वक्ता थे। उन्होनें सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कर्मचारियों के साथ बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार करने और राज्य सरकार द्वारा बजट में एक भी पैसे का भुगतान किए बिना विभिन्न कार्यक्रमों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की सेवा शामिल करने पर सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मचारी अपनी मागें अवश्य पा सकेंगें। सीटू, राज्य सरकारी कर्मचारी और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बहुत से अन्य नेताओं ने भी अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया।

सम्मेलन में एक 11 सूत्रीय मांगपत्र स्वीकार किया गया, जिसमें माह के पहले सप्ताह में वेतन का नियमित रूप से भुगतान होना, 60 वर्ष की आयु होने पर सेविनिवर्षत्ति पर सेविका को 1,00,000रू और सहायिका को 50,000रू एक्स ग्रेशिया के रूप में भुगतान करना, उनकी सेवाओं का नियमितिकरण करना तब तक सेविका को 5,000रू तथा सहायिका को 3,000रू प्रतिमाह देना, इत्यादी शामिल थे।

सम्मेलन में एक कमेटी का चुनाव किया गया जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष, अध्यक्ष, और महासचिव के रूप में क्रमशः वशारतुल्लाह, संगीता देवी और शाहीन प्रवीन को चुना गया।

राजस्थान

राजस्थान आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ के कार्यकर्ताओं की एक बैठक 10 जून 2007 को जयपंर में 'मजदूर किसान भवन' में हुई। अभी हाल ही में गठित यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बहुत सी परियोजनाओं से बैठक में भाग लिया। सीटू राजस्थान राज्य कमेटी के महासचिव रविन्द्र शुक्ला और सचिव हज़ारीलाल और आइफा की महासचिव हेमलता ने बैठक में भाग लिया।

हेमलता ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को उनकी परियोजनाओं में यूनियन बनाने के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले तीस वर्षो में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को जितने भी लाभ प्राप्त हुए हैं, संघर्ष से ही प्राप्त हुए है। उन्होनें मजबूत संघर्ष करने के लिए मजबूत संगठन बनाने के महत्व पद ज़ोर दिया। अन्य राज्यों के विभिन्न उदाहरण देकर उन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि यदि अन्य राज्यों के आंगनवाड़ी कर्मचारी कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो राजस्थान के आंगनवाड़ी कर्मचारी भी वे लाभ प्राप्त कर सकते है।

हज़ारीलाल ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मागों, सदस्यत बनाने और 10 जुलाई 2007 की अखिल भारतीय आम हड़ताल के लिए अभियान चलाकर जिला स्तरीय प्रदर्शन आयोजित करने का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। राज्य सम्मेलन की योजना बनाने के लिए जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में ऐसी ही एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया।

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर कामरेड बी टी रणदिवे का लेख

जब हम अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे होते हैं तो हम बीसवीं शताब्दी की अत्यंत उल्लेखनीय घटनाओं पर चर्चा कर रहे होते हैं; यह एक ऐतिहासिक घटना है और इसका विश्वव्यापी महत्त्व है। 1917 में रूसी क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध में नाजीवाद के खिलाफ सोवियत संघ की विजय, चीन की सफल क्रांति और भारत की मुक्ति ने विश्व के राजनीतिक मानचित्र का बदल डालने में योगदान दिया है। निःसंदेह पहली तीन घटनाओं का विश्व इतिहास पर दूरगामी प्रभाव पड़ा था। पहली दो जीतों ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में भारी योगदान दिया था और भारतीय जनता द्वारा हासिल की गई इस उपलब्धि ने उन विशाल शक्तियों को मुक्ति दिलाई थी जिन्होंने गुलाम बनाने वाली विश्व साम्राज्यवाद की ताकतों को कमजोर कर दिया था और औपनिवेशक व्यवस्था को धाराशायी करने में अपना योगदान दिया था।

इस उपलब्धि को हासिल करने में जिन लोगों ने योगदान दिया था और वे लोग जो उचित रूप में इस संघर्ष को नेतृत्व प्रदान करने का दावा करते हैं, उन सभी की उपयुक्त समीक्षा किए जाने की जरूरत है; इस ऐतिहासिक घटना की प्रगति और इसके शिखर पर पहुंचने के इस घटनाक्रम को समझने के लिए यह जरूरी हो जाता है। यही नहीं, राष्ट्रीय संघर्ष पर एक सही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तभी उभर पाएगा जब उसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारत के इतिहास की घटनाओं से जोड़ कर देखा जाएगा; इस इतिहास की प्रकृति हमारी जनता के कष्टों में अपार वृद्धि, बेरोजगारी के भस्मासुर के विकराल रूप, चहुं ओर व्याप्त भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान कठोर परिश्रम से विकसित सभी मूल्यों के धाराशायी हो जाने, साम्प्रदायिक एवं विभाजक शक्तियों के उभरने, विभाजन और विध्वंस के खतरों को प्रतिबिम्बित करती है। प्रतिगामी ताकतें लोगों में पाई जाने वाली निराशा का लाभ उठा कर स्वतंत्रता की उपलब्धियों को तार–तार कर रही हैं; वे लोगों की कुर्बानियों को छोटा करके देख रही हैं। ये प्रतिगामी ताकतें उन लोगों की पीठ थपथपाती हैं जो पूरे स्वतंत्रता संग्राम का चित्रण इस तरह करते हैं मानो यह उस समय के हाकमों की ओर से दिया गया तोहफा हो, भारत की जनता की जीत नहीं।

1857 का स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश दासतां तथा कुशासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की एक उत्साहवर्धक कहानी है। यद्यपि 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अनेक संघर्श हुए हैं। जुझारू संघर्षो की इस अवधि की शुरूआत सन्यासियों के विद्रोह (1763–1800) से हुई थी। बंकिम चैटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास 'आनंद मठ' की पटकथा इसी विद्रोह के इर्द गिर्द घूमती है ओर यह विद्रोह बिरसा मुण्डा के विद्रोह (1890–1900) तक जारी रहा था।

गारो से लुशाई पर्वत श्रृंखला तक, दक्षिण में त्रिवेन्द्रम तक, पश्चिम में कच्छ से पूर्वी तट राजमुंदरी तक लोग एक सौ वर्ष के इस संग्राम में किसी न किसी समय शामिल रहे थे। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की अनेक सशस्त्र बगावतों को होते देखा गया। सबसे पहली बगावत 1824–25 में उन सिपाहियों द्वारा की गई थी जिन्हें बर्मा भेजा गया था। वे समुद्र के रास्ते बर्मा नहीं जाना चाहते थे, उनकी बगावत का यही प्रकट कारण था। इसके अलावा इन सिपाहियों ने अपने भत्ते में बढ़ोतरी करने की मांग की थी। तथापि, यह प्रमाणित हो जाता है कि उस समय देश में एक मजबूत ब्रिटिश विरोधी लहर विकसित हो रही थी। 1823 के प्रेस कानूनों ने जलती आग में घी का काम किया था और आधिकारिक हलकों में व्यापक स्तर पर यह माना जा रहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए राम मोहन राय द्वारा की गई अपील सिपाहियों में उत्साह पैदा करने वाला स्रोत थी। यह बगावत बैरक पुर (पश्चिम बंगाल) से बाहर फैल गई थी। इस बगावत को कुचल दिया गया किन्तु सिपाहियों में जो असंतोश पैदा हुआ था उसका दमन नहीं किया जा सका। विरोध के एक और संघर्ष का विकास 1827–28 में हुआ; यह संघर्ष कलकत्ता के आस–पास के इलाकों में केन्द्रित रहा था। यह संघर्ष कम्पनी के स्टैम्प ड्यूटी रैगुलेशन एक्ट के खिलाफ चलाया गया था। इस संघर्ष का नारा था कि लोगों की सहमति लिए बिना उन पर कर न लगाया जाए। (अशोक लाल घोष, ब्रिटिश इंडियाज़ फस्ट फ्रीडम मूवमैंट – 1820–1830)।

प्रतिरोध के इन भीषण संघर्षो का स्रोत क्या था? यह वह समय था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी कानून और नियमों को ताक पर रख कर लोगों को बुरी तरह लूट रही थी अथवा उनके धन पर डाका डाल रही थी। उसके शीघ्र बाद ब्रिटिश कपड़ा उद्योग के उत्पादों का आयात किया जाने लगा जिसके कारण भारत में कृषि और उद्योग तहस नहस हो गया; लाखों लोगों अकथनीय कष्ट झेलने के लिए छोड़ दिया गया।

शुरू में इस लोभी कम्पनी ने किसानों, दस्तकारों, सौदागरों, जमीदारों तथा सामंती राजकुमारों सभी हितों पर हमला किया था। ये सभी उसकी भयानक लूट का शिकार हुए थे। जमीदारों तथा सामंती राजकुमारों से भारी भरकम मांग की जाने लगी और इस बहाने से उन्हें उनकी सम्पत्तियों तथा राजशाहियों से वंचित किया जाने लगा। कम्पनी की मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने किसानों के शोषण को और तेज कर दिया। सौदागरों के घरों पर अकसर छापे मारे जाते ; किसानों तथा बुनकरों के साथ दासों जैसा व्यवहार किया जाने लगा। उन राजकुमारों की रियासतों को

ब्रिटिश आधिपत्य वाले इलाकों में शामिल कर लिया जाता जिनके यहां कोई बच्चा नहीं होता था।

क्योंकि सभी लोगों का शोषण हो रहा था इसी लिए जमींदार तथा किसान, सामंती राजकुमार इत्यादि अकसर एक साथ मिल कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने लगे थे। भंग की जा चुकी मुगल तथा दूसरे सामंतों की सेनाओं की ओर से संघर्ष में शामिल लोगों की पंक्तियों को मजबूत बनाया गया। तथापि, ज्यों–ज्यों दिन व्यतीत होते चले गए किसान विदेशी शासकों तथा जमीदारों के खिलाफ सहज स्वाभाविक संघर्ष में शामिल होते चले गए।

इन तूफानी संघर्षो में भाग लेने वाले सम्पूर्ण समाज से ताल्लुक रखते थे। आंकड़े बताते हैं कि संघर्ष के मंच पर आदिवासी, किसान, धर्म सुधारक, निकाले गए सिपाही, सभी सामंती राज्यों के राजकुमार इत्यादि एक साथ खड़े थे। मजनू साहा, भवानी पाठक, देवी चौधरानी (सभी सन्यासी विद्रोह के नेता), विशाखापत्तनम के विजय राम राज, अवध के मनोनीत नवाब वजीर अली, भील नेता दशरथ तथा हिरी (महाराष्ट्र), किटुर (कर्नाटक) की चेन्नमा, बरेली के सय्यद अहमद, वहाबी नेता तथा उनके सहयोगी टीटू मीर तथा त्रावनकोर के देशभक्त थाम्पी वेलु, कोरग के ब्रिटिश विरोधी वीर राजे, सामंत विरोधी एवं नील (Indigo) की खेती का विरोध करने वाले नेता फरीदपुर (अब बंगला देश में) के दीदू मियां, हंसते–हंसते फांसी के फंदे पर लटक जाने वाले कुरनूल के नारायण रेड्डी, रामनाड के माटु बोमेन नायक, संथाल विद्रोह के नेता त्रिभुवन संथाल तथा मनिषा माजी इत्यादि 1857 के विद्रोह के सुविख्यात नेता थे। नील की खेती के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले तथा इस आंदोलन के नेता पूना के वासुदेव बलवंत फडके तथा रांची के बिरसा भी इस संग्राम के नेता थे।

इस पहले स्वतंत्रता संग्राम में हिन्दुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला कर संघर्ष किया था। अनेक अवसर ऐसे भी आए जब इस स्वतंत्रता संग्राम की कमान वीर महिलाओं ने सम्भाली थी। जहां देश के एक भाग में लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया वहीं दूसरे भाग में रहने वाले लोग विदेशी हमले तथा शोषण की उसी चक्की में पिस रहे थे और वे भी संघर्ष करने पर जोर दे रहे थे।

ब्रिटिश सेना क्योंकि संख्या में अधिक होती थी और शस्त्रों से सुसज्जित होती थी इसलिए प्रत्येक अवसर पर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ब्रिटिश श्रेष्ठता साहस और व्यक्तिगत बहादुरी की श्रेष्ठता नहीं थी अपितु उनके पास एक आधुनिक सेना थी और एक उन्नत समाज व्यवस्था थी; उनकी लड़ाई उस व्यवस्था के साथ थी जो पुरानी पड़ चुकी थी और उसकी सेनाएं पुरानी मरणासन्न व्यवस्था में थीं तथा उनके हथियार भी पुराने पड़ चुके थे। इस पर भी लोगों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और इन प्रतिरोधी संघर्षो में साहस के साथ ब्रिटिश सेनाओं का प्रतिकार किया। इन संघर्षो ने भावी राष्ट्रीय प्रतिरोध की नींव डाली थी।

इतिहास को झुठलाने वाले लोगों ने कोई कोर–कसर शेष नहीं छोड़ी थी। उनकी ओर से भारतीय संघर्ष की जुझारू राष्ट्रीय परम्परा को छुपाने की कोशिशें की गईं। इस युग के संघर्षो की चरम परिणति 1857 के महान विद्रोह के रूप में हुई थी। इस विद्रोह में भाग लेने वाले योद्धा अपेक्षाकृत अधिक जागरूक थे, उनके पास संगठन की ताकत थी और संघर्ष करने के पीछे उनका उद्देश्य भी काम कर रहा था।

राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रतिरोधी संघर्ष को संगठित करने का यह लगभग पहला प्रयास था; यह ब्रिटिश शासन की ओर से रोपी गई नयी सभ्यता का पहला सीधा प्रतिफल था। उनकी अपील धर्म के आधार पर थी और वे आधुनिक राष्ट्रीय एवं जनवादी दृष्टिकोण से अपने लक्ष्यों का निर्धारण नहीं कर सके थे; यह उनकी असफलता थी। किन्तु एक संघर्ष की वस्तुपरक प्रकृति का आंकलन केवल उसकी जागरूकता के आधार पर ही नहीं किया जा सकता।

कहना होगा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था और ब्रिटेन के पूर्व प्रधान मंत्री तथा 1857 में प्रतिपक्ष के नेता डिज़राइली जैसे लोगों को भी संसद में यह प्रश्न पूछना पड़ा था, "क्या भारत के उपद्रव सैनिक विद्रोह का सूचक हैं अथवा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? क्या सैनिक टुकड़ियों का व्यवहार अचानक भड़के उपद्रव के लिए जिम्मेदार है अथवा यह एक संगठित षडयंत्र के अन्तर्गत किया गया विद्रोह है?"

ब्रिटिश शासकों तथा उनके गुर्गो ने जनता के इस विद्रोह को सैनिक बगावत का नाम दिया है और उसके राष्ट्रीय महत्त्व को मानने से इन्कार कर दिया है। कुछ भारतीय लेखकों ने इस पर अनैतिहासिक रुख अपनाते हुए इसे सामंती प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ विद्रोह करार दिया है। वे लोग भूल गए हैं कि इस विद्रोह में भाग लेने वाले वर्दीधारी सिपाही वास्तव में किसान जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में भारत की जनता ने अपनी–अपनी धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठ कर जिस शानदार एकता का प्रदर्शन किया था उस पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। यह तथ्य बेहद महत्त्वपूर्ण है क्योंकि सिख, मुसलमान इत्यादि ब्राह्मणों के साथ मिल कर तथा एक साझा लक्ष्य बना कर इस संघर्ष में कूदे थे। सभी जन जातियों की एक सामान्य यूनियन बनने का काम तेजी से आगे बढ़ा था।

(साभारः सोशल साइंटिस्ट)

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर कामरेड बी टी रणदिवे का लेख

जब हम अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे होते हैं तो हम बीसवीं शताब्दी की अत्यंत उल्लेखनीय घटनाओं पर चर्चा कर रहे होते हैं; यह एक ऐतिहासिक घटना है और इसका विश्वव्यापी महत्त्व है। 1917 में रूसी क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध में नाजीवाद के खिलाफ सोवियत संघ की विजय, चीन की सफल क्रांति और भारत की मुक्ति ने विश्व के राजनीतिक मानचित्र का बदल डालने में योगदान दिया है। निःसंदेह पहली तीन घटनाओं का विश्व इतिहास पर दूरगामी प्रभाव पड़ा था। पहली दो जीतों ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में भारी योगदान दिया था और भारतीय जनता द्वारा हासिल की गई इस उपलब्धि ने उन विशाल शक्तियों को मुक्ति दिलाई थी जिन्होंने गुलाम बनाने वाली विश्व साम्राज्यवाद की ताकतों को कमजोर कर दिया था और औपनिवेशक व्यवस्था को धाराशायी करने में अपना योगदान दिया था।

इस उपलब्धि को हासिल करने में जिन लोगों ने योगदान दिया था और वे लोग जो उचित रूप में इस संघर्ष को नेतृत्व प्रदान करने का दावा करते हैं, उन सभी की उपयुक्त समीक्षा किए जाने की जरूरत है; इस ऐतिहासिक घटना की प्रगति और इसके शिखर पर पहुंचने के इस घटनाक्रम को समझने के लिए यह जरूरी हो जाता है। यही नहीं, राष्ट्रीय संघर्ष पर एक सही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तभी उभर पाएगा जब उसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारत के इतिहास की घटनाओं से जोड़ कर देखा जाएगा; इस इतिहास की प्रकृति हमारी जनता के कष्टों में अपार वृद्धि, बेरोजगारी के भस्मासुर के विकराल रूप, चहुं ओर व्याप्त भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान कठोर परिश्रम से विकसित सभी मूल्यों के धाराशायी हो जाने, साम्प्रदायिक एवं विभाजक शक्तियों के उभरने, विभाजन और विध्वंस के खतरों को प्रतिबिम्बित करती है। प्रतिगामी ताकतें लोगों में पाई जाने वाली निराशा का लाभ उठा कर स्वतंत्रता की उपलब्धियों को तार–तार कर रही हैं; वे लोगों की कुर्बानियों को छोटा करके देख रही हैं। ये प्रतिगामी ताकतें उन लोगों की पीठ थपथपाती हैं जो पूरे स्वतंत्रता संग्राम का चित्रण इस तरह करते हैं मानो यह उस समय के हाकमों की ओर से दिया गया तोहफा हो, भारत की जनता की जीत नहीं।

1857 का स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश दासता तथा कुशासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की एक उत्साहवर्धक कहानी है। यद्यपि 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अनेक संघर्श हुए हैं। जुझारू संघर्षो की इस अवधि की शुरूआत सन्यासियों के विद्रोह (1763–1800) से हुई थी। बंकिम चैटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास 'आनंद मठ' की पटकथा इसी विद्रोह के इर्द गिर्द घूमती है ओर यह विद्रोह बिरसा मुण्डा के विद्रोह (1890–1900) तक जारी रहा था।

गारो से लुशाई पर्वत श्रृंखला तक, दक्षिण में त्रिवेन्द्रम तक, पश्चिम में कच्छ से पूर्वी तट राजमुंदरी तक लोग एक सौ वर्ष के इस संग्राम में किसी न किसी समय शामिल रहे थे। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की अनेक सशस्त्र बगावतों को होते देखा गया। सबसे पहली बगावत 1824–25 में उन सिपाहियों द्वारा की गई थी जिन्हें बर्मा भेजा गया था। वे समुद्र के रास्ते बर्मा नहीं जाना चाहते थे, उनकी बगावत का यही प्रकट कारण था। इसके अलावा इन सिपाहियों ने अपने भत्ते में बढ़ोतरी करने की मांग की थी। तथापि, यह प्रमाणित हो जाता है कि उस समय देश में एक मजबूत ब्रिटिश विरोधी लहर विकसित हो रही थी। 1823 के प्रेस कानूनों ने जलती आग में घी का काम किया था और आधिकारिक हलकों में व्यापक स्तर पर यह माना जा रहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए राम मोहन राय द्वारा की गई अपील सिपाहियों में उत्साह पैदा करने वाला स्त्रोत थी। यह बगावत बैरक पुर (पश्चिम बंगाल) से बाहर फैल गई थी। इस बगावत को कुचल दिया गया किन्तु सिपाहियों में जो असंतोश पैदा हुआ था उसका दमन नहीं किया जा सका। विरोध के एक और संघर्ष का विकास 1827–28 में हुआ; यह संघर्ष कलकत्ता के आस–पास के इलाकों में केन्द्रित रहा था। यह संघर्ष कम्पनी के स्टैम्प ड्यूटी रैगुलेशन एक्ट के खिलाफ चलाया गया था। इस संघर्ष का नारा था कि लोगों की सहमति लिए बिना उन पर कर न लगाया जाए। (अशोक लाल घोष, ब्रिटिश इंडियाज़ फस्ट फ्रीडम मूवमैंट – 1820–1830)।

प्रतिरोध के इन भीषण संघर्षो का स्त्रोत क्या था? यह वह समय था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी कानून और नियमों को ताक पर रख कर लोगों को बुरी तरह लूट रही थी अथवा उनके धन पर डाका डाल रही थी। उसके शीघ्र बाद ब्रिटिश कपड़ा उद्योग के उत्पादों का आयात किया जाने लगा जिसके कारण भारत में कृषि और उद्योग तहस नहस हो गया; लाखों लोगों अकथनीय कष्ट झेलने के लिए छोड़ दिया गया।

शुरू में इस लोभी कम्पनी ने किसानों, दस्तकारों, सौदागरों, जमीदारों तथा सामंती राजकुमारों सभी हितों पर हमला किया था। ये सभी उसकी भयानक लूट का शिकार हुए थे। जमीदारों तथा सामंती राजकुमारों से भारी भरकम मांग की जाने लगी और इस बहाने से उन्हें उनकी सम्पत्तियों तथा राजशाहियों से वंचित किया जाने लगा। कम्पनी की मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने किसानों के शोषण को और तेज कर दिया। सौदागरों के घरों पर अकसर छापे मारे जाते ; किसानों तथा बुनकरों के साथ दासों जैसा व्यवहार किया जाने लगा। उन राजकुमारों की रियासतों को

ब्रिटिश आधिपत्य वाले इलाकों में शामिल कर लिया जाता जिनके यहां कोई बच्चा नहीं होता था।

क्योंकि सभी लोगों का शोषण हो रहा था इसी लिए जमींदार तथा किसान, सामंती राजकुमार इत्यादि अकसर एक साथ मिल कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने लगे थे। भंग की जा चुकी मुगल तथा दूसरे सामंतों की सेनाओं की ओर से संघर्ष में शामिल लोगों की पंक्तियों को मजबूत बनाया गया। तथापि, ज्यों–ज्यों दिन व्यतीत होते चले गए किसान विदेशी शासकों तथा जमीदारों के खिलाफ सहज स्वाभाविक संघर्ष में शामिल होते चले गए।

इन तूफानी संघर्षो में भाग लेने वाले सम्पूर्ण समाज से ताल्लुक रखते थे। आंकड़े बताते हैं कि संघर्ष के मंच पर आदिवासी, किसान, धर्म सुधारक, निकाले गए सिपाही, सभी सामंती राज्यों के राजकुमार इत्यादि एक साथ खड़े थे। मजनू साहा, भवानी पाठक, देवी चौधरानी (सभी सन्यासी विद्रोह के नेता), विशाखापत्तनम के विजय राम राज, अवध के मनोनीत नवाब वजीर अली, भील नेता दशरथ तथा हिरी (महाराष्ट्र), किटुर (कर्नाटक) की चेन्नमा, बरेली के सय्यद अहमद, वहाबी नेता तथा उनके सहयोगी टीटू मीर तथा त्रावनकोर के देशभक्त थाम्पी वेलु, कोरग के ब्रिटिश विरोधी वीर राजे, सामंत विरोधी एवं नील (Indigo) की खेती का विरोध करने वाले नेता फरीदपुर (अब बंगला देश में) के दीदू मियां, हंसते–हंसते फांसी के फंदे पर लटक जाने वाले कुरनूल के नारायण रेड्डी, रामनाड के माटु बोमेन नायक, संथाल विद्रोह के नेता त्रिभुवन संथाल तथा मनिषा माजी इत्यादि 1857 के विद्रोह के सुविख्यात नेता थे। नील की खेती के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले तथा इस आंदोलन के नेता पूना के वासुदेव बलवंत फडके तथा रांची के बिरसा भी इस संग्राम के नेता थे।

इस पहले स्वतंत्रता संग्राम में हिन्दुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला कर संघर्ष किया था। अनेक अवसर ऐसे भी आए जब इस स्वतंत्रता संग्राम की कमान वीर महिलाओं ने सम्भाली थी। जहां देश के एक भाग में लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया वहीं दूसरे भाग में रहने वाले लोग विदेशी हमले तथा शोषण की उसी चक्की में पिस रहे थे और वे भी संघर्ष करने पर जोर दे रहे थे।

ब्रिटिश सेना क्योंकि संख्या में अधिक होती थी और शस्त्रों से सुसज्जित होती थी इसलिए प्रत्येक अवसर पर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ब्रिटिश श्रेष्ठता साहस और व्यक्तिगत बहादुरी की श्रेष्ठता नहीं थी अपितु उनके पास एक आधुनिक सेना थी और एक उन्नत समाज व्यवस्था थी; उनकी लड़ाई उस व्यवस्था के साथ थी जो पुरानी पड़ चुकी थी और उसकी सेनाएं पुरानी मरणासन्न व्यवस्था में थीं तथा उनके हथियार भी पुराने पड़ चुके थे। इस पर भी लोगों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और इन प्रतिरोधी संघर्षो में साहस के साथ ब्रिटिश सेनाओं का प्रतिकार किया। इन संघर्षो ने भावी राष्ट्रीय प्रतिरोध की नींव डाली थी।

इतिहास को झुठलाने वाले लोगों ने कोई कोर–कसर शेष नहीं छोड़ी थी। उनकी ओर से भारतीय संघर्ष की जुझारू राष्ट्रीय परम्परा को छुपाने की कोशिशें की गईं। इस युग के संघर्षो की चरम परिणति 1857 के महान विद्रोह के रूप में हुई थी। इस विद्रोह में भाग लेने वाले योद्धा अपेक्षाकृत अधिक जागरूक थे, उनके पास संगठन की ताकत थी और संघर्ष करने के पीछे उनका उद्देश्य भी काम कर रहा था।

राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रतिरोधी संघर्ष को संगठित करने का यह लगभग पहला प्रयास था; यह ब्रिटिश शासन की ओर से रोपी गई नयी सभ्यता का पहला सीधा प्रतिफल था। उनकी अपील धर्म के आधार पर थी और वे आधुनिक राष्ट्रीय एवं जनवादी दृष्टिकोण से अपने लक्ष्यों का निर्धारण नहीं कर सके थे; यह उनकी असफलता थी। किन्तु एक संघर्ष की वस्तुपरक प्रकृति का आंकलन केवल उसकी जागरूकता के आधार पर ही नहीं किया जा सकता।

कहना होगा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था और ब्रिटेन के पूर्व प्रधान मंत्री तथा 1857 में प्रतिपक्ष के नेता डिज़राइली जैसे लोगों को भी संसद में यह प्रश्न पूछना पड़ा था, ''क्या भारत के उपद्रव सैनिक विद्रोह का सूचक हैं अथवा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? क्या सैनिक टुकड़ियों का व्यवहार अचानक भड़के उपद्रव के लिए जिम्मेदार है अथवा यह एक संगठित षडयंत्र के अन्तर्गत किया गया विद्रोह है?''

ब्रिटिश शासकों तथा उनके गुर्गो ने जनता के इस विद्रोह को सैनिक बगावत का नाम दिया है और उसके राष्ट्रीय महत्त्व को मानने से इन्कार कर दिया है। कुछ भारतीय लेखकों ने इस पर अनैतिहासिक रुख अपनाते हुए इसे सामंती प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ विद्रोह करार दिया है। वे लोग भूल गए हैं कि इस विद्रोह में भाग लेने वाले वर्दीधारी सिपाही वास्तव में किसान जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में भारत की जनता ने अपनी–अपनी धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठ कर जिस शानदार एकता का प्रदर्शन किया था उस पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। यह तथ्य बेहद महत्त्वपूर्ण है क्योंकि सिख, मुसलमान इत्यादि ब्राह्मणों के साथ मिल कर तथा एक साझा लक्ष्य बना कर इस संघर्ष में कूदे थे। सभी जन जातियों की एक सामान्य यूनियन बनने का काम तेजी से आगे बढ़ा था।

(साभारः सोशल साइंटिस्ट)

हिन्दी भाषी राज्यों के कार्यकर्ताओं के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियन स्कूल

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका फैडरेशन (आइफा) ने हिन्दी भाषी राज्यों के कार्यकर्ताओं के लिए 18 से 22 मई 2007 को चण्डीगढ, पंजाब में पांच दिवसीय केंद्रीय ट्रेड यूनियन कक्षाएं आयोजित कीं।

नवम्बर 2005 में हुए अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फेडरेशन (आइफा) के पांचवे अधिवेशन में कार्यकर्ताओं के विकास पर ज़ोर दिया गया था, मुख्य रूप से हिन्दी भाषी राज्यों में, जहां हमारी यूनियन कमज़ोर है। बहुत से कारणों के चलते वर्ष 2006 में कक्षाऐं आयोजित नही की जा सकीं।

यद्यपि आइफा ने वर्ष 2003 में पांच दिवसीय कक्षाएं आयोजित की थी, पिछली बार की ही तरह इस बार भी भय था कि सामाजिक रूप से पिछड़े राज्यों से महिलाएं इस पांच दिवसीय कार्यक्रम में आ सकेंगीं या नही? परन्तु हिन्दी क्षेत्र की विकासशील यूनियनों ने यह सिद्ध कर दिया कि वे आत्मनिर्भर हैं और अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर आंदोलन को आगे बढ़ाने में सक्षम भी है।

आंगनवाड़ी मुलाज़िम यूनियन, पंजाब ने यूनियन के बिखराव का सामना करते हुए भी कक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। आंगनवाड़ी यूनियन के नेताओं ने स्वयं ही सभी व्यवस्थाऐं कीं। उन्होंने कार्यकताओं को परिवारों को भी कार्यक्रम में अंत तक शामिल किया। राज्य सीटू दफतर, चीमा भवन में 10 से अधिक वालंटियर सात दिनों तक ठहरे थे। अकस्मात् आई समस्याओं और पंजाब में *'डेरा सच्चा सौदा'* और *'अकाली तख्त'* के झगड़े और कुछ राज्यों में अचानक *'पल्स पोलियो कार्यक्रम'* की घोषणा के चलते हुए भी छत्तीसगढ़ (3), दिल्ली (3), हरियाणा (6), हिमाचल प्रदेश (13), झारखंड (5), मध्य प्रदेश (5), महाराष्ट्र (12), पंजाब (29), और उत्तरांचल (3) – 9 राज्यों से 79 कार्यकर्ताओं ने कक्षा में भाग लिया। 14 राज्यों से लगभग एक सौ कार्यकर्ताओं के आने की आशा थी। पंचायत चुनावों के चलते बिहार के कार्यकर्ता कक्षा में नही आ सके और जम्मू और कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता मुख्य रूप से यातयात बंद और कानून और आदेशिक स्थिति के चलते नही आ सके।

कक्षा में लिए गए विषय थे – *"सामाजिक, वर्गीय और लैंगिक विकास"* जिस पर इन्दु अग्निहोत्रि (एडवा सीईसी सदस्या) ने भागीदारों को समाज, लिंग और वर्ग के विकास के बारे में समझाया कि किस प्रकार इनका विकास हुआ; *"वैज्ञानिक सोच"* विषय पर ए आर सिंधु (आइफा कोषाध्यक्ष) ने बताया कि किस प्रकार मीडीया भ्रमों को फैलाकर हमें असल जिंदगी व हमारे संघर्ष से दूर कर रहा है; *"राजनैतिक अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण – पृष्ठभूमि और प्रभाव"* विषय पर तपन सेन (सीटू सचिव व संसद सदस्य) ने भागीदारों को हमारी राजनैतिक अर्थव्यवस्था के ढांचे के बारें में बताया। उन्होनें वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि और उसके मजदूर वर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी बताया। उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों पर हमले हो रहे है; *"भारतीय समाज में जातिवाद, सांप्रदायिकता और मजदूर वर्ग"* विषय पर बादल सरोज (मध्य प्रदेश सीटू राज्य कमेटी के महासचिव) ने भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया; *"सीआईटीयू और अन्य मजदूर संगठन"* और *"संगठन के नियम"* विषय पर हेमलता (आइफा महासचिव) ने कार्यकर्ताओं को शिक्षित किया। प्रत्येक कक्षा के बाद सामूहिक चर्चाएं हुईं तथा उसके बाद सवाल जवाब का सत्र चला। बादल सरोज ने कार्यकर्ताओं की समझ का स्तर जानने के लिए कक्षा में पहले ही जाति और धर्म से संबंधित बहुत से सामाजिक अनुभवों पर एक प्रश्नावली वितरित की। उन्होनें विषय पर एक लिखित नोट भी वितरित किया। सभी कक्षाओं में से, वैज्ञानिक सोच और जातिवाद और साम्राज्यवाद विषय पर अच्छी बहस हुई और कार्यकर्ताओं ने अपने सामाजिक अनुभवों पर स्वयं के अनुभव बांटे। वे संगठनात्मक नियम सीखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे।

सीटू सचिव और पंजाब राज्य कमेटी के महासचिव रघुनाथ सिंह ने कक्षा में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं को बधाई दी और 'डेरा सच्चा सौदा' की राजनैतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि और पंजाब की वर्तमान समस्याओं के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। सभी साथियों को 21 मई 2007 को पंजाब दर्शन के लिए ले जाया गया। उन्हें प्रसिद्ध रॉक गार्डन, झील और रोज़ गार्डन भी दिखाया गया।

अंतिम दिन हिन्दी भाषी राज्यों की बैठक में लिए गए कार्यो को अंतिम रूप देकर फीडबैक सत्र संपन्न हुआ। सभी साथियों ने महसूस किया कि ऐसी कक्षएं सभी स्तरों पर होना आवश्यक है। उन सभी ने कहा कि कक्षा के बाद संगठन और समाज के बारे में उनके विचार ही बदल गए है। वे कक्षा से इतने प्रभावित हुए कि उनमें से बहुत से कार्यकर्ताओं ने संघर्ष, संगठन इत्यादी पर गीत ही बना डाले। यद्यपि बहुत से कार्यकर्ता तो भावावेश में आकर रो ही पड़े। उन सभी ने 10 जुलाई की अखिल भारतीय आम हड़ताल को सफल बनाने का दृढ़ निश्चय किया।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों की अखिल भारतीय आम हड़ताल 10 जुलाई 2007

आइफा की 9 मई की कार्यकारिणी कमेटी की बैठक में 10 जुलाई को अखिल भारतीय आम हड़ताल के रूप में मनाने के निर्णयानुसार देश के सभी राज्यों में आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं 10 जुलाई 2007 को हड़ताल में भाग लेंगी। सभी राज्यों में इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए अभियान आयोजित किए गए है, इन अभियानों का संचालन पर्चे, पोस्टर, ग्रुप/जनरल बॉडी बैठकों, प्रैस विज्ञप्तियों द्वारा हो रहा है। केंद्र की ओर से हिन्दी भाषी क्षेत्रों में पोस्टर भेजे गए तथा सभी राज्यों को हड़ताल के नोटिस का प्रारूप भेजा गया। सभी राज्यों द्वारा आईसीडीएस निदेशकों, कार्यक्रम अफसरों, और सीडीपीओज़ इत्यादी को तथा अखिल भारतीय केंद्र की ओर से केंद्रीय सरकार को 27 जून 2007 को हड़ताल का नोटिस भेजा गया। सभी राज्यों में हड़ताल की तैयारी जोशो खरोशों से चल रही है। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थानउत्तर प्रदेश, उत्तरांचल इत्यादी राज्यों में राज्य /जिला/ परियोजना स्तरीय हड़ताल होना सुनिश्चित हुआ है। सभी राज्यों से ऐसा प्रत्युत्तर मिलने से हड़ताल के बड़े पैमाने पर सफल होने की आशा है।

आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन

इसी बीच सीआइटीयू के आह्वान पर आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन की ओर से पंजाब भर में मजदूर–किसान दिवस मनाया गया। यूनियन ने अपनी 10–सूत्रीय मांगों को लेकर रोश प्रदर्शनों का आयोजन किया जिनमें हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया। इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार लुधियाना, फतेहगढ़ साहेब, राजपुरा, पटियाला, होशियारपुर, संगरूर, रोपड़, नवां शहर, मोगा तथा तरन तारन में सख्त गर्मी और गेहूं की कटाई का समय होने पर भी 3000 से अधिक कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया। सभी जिलों में उपायुक्तों के माध्यम से प्रधान मंत्री को ज्ञापन भेंट किए गए।

इस अवसर पर यूनियन की अध्यक्ष उशा रानी, महासचिव हरजीत कौर तथा अन्य नेताओं ने रैलियों को सम्बोधित किया। उन्होंने मांग की कि बादल सरकार अपने चुनावी वादों को अमल में लाए और गरीब लोगों के लिए सस्ते राशन की आपूर्ति करने की व्यवस्था करे; नेताओं ने चेतावनी दी किं यदि केन्द्रीय एवं राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित कार्रवाई नहीं की तो आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन को आंदोलन तेज करने पर मजबूर होना पड़ेगा।

कामरेड मोहम्मद अमीन सीआइटीयू के नए महासचिव चुने गए

कामरेड मोहम्मद अमीन को सीआईटीयू के नए महासचिव के रूप में चुना गया। उन्हें महासचिव बनाने का निर्णय सीआइटीयू सचिव मण्डल की 3 अप्रैल, 2007 को नयी दिल्ली में हुई बैठक में लिया गया था। वह स्वर्गीय कामरेड चित्तब्रत मजुमदार के स्थान पर महासचिव चुने गए हैं। कामरेड अमीन के चुनाव को कोलकाता में 27–30 मई, 2007 को हुई, सीआइटीयू जनरल कौंसिल की बैठक में औपचारिक रूप दिया गया।

कामरेड मोहम्मद अमीन का संक्षेप जीवन

सीआइटीयू के नए महासचिव कामरेड मोहम्मद अमीन भारत में श्रमिक आंदोलन के एक प्रख्यात नेता रहे हैं। उन्होंने अपने कामकाजी जीवन का आरम्भ पश्चिम बंगाल में जूट श्रमिक के रूप में किया था। वह जल्दी ही निचले स्तर (अथवा श्राप फ्लोर) से श्रमिक वर्ग के संघर्षो में भाग लेने लगे थे। वह 1970 में सीआइटीयू की स्थापना होने के समय से ही उससे जुड़ गए थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सीआइटीयू संगठन की विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। वह 1987 में सीआइटीयू के राष्ट्रीय सचिव चुने गए और हाल ही में बंगलौर में सम्पन्न सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन में उन्हें उपाध्यक्ष चुना गया था। वह जूट तथा परिवहन जैसी अनेक उद्योगवार फैडरेशनों के साथ सम्बन्धित रहे हैं। वह दो बार राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे।

उन्होंने पश्चिम बंगाल की पहली वाम मोर्चा सरकार में परिवहन मंत्री और छटी वाम मोर्चा सरकार में श्रम मंत्री के रूप में काम किया था। इसी बीच वह राज्य सभा के सदस्य भी रहे। इतने लम्बे समय तक उन्होंने देश के श्रमिक आंदोलन में निर्णायक महत्त्व की भूमिका निभाई है और श्रमिक वर्ग का नेतृत्व किया है। उनकी आयु इस समय लगभग 78 वर्ष है।

हासिल अधिकारों को बचाने से लेकर शोषण मुक्त समाज बनाने तक का संघर्ष

ज्योति बसु

दुनिया भर के मेहनतकश मई दिवस को उल्लास और गरिमा के साथ मनाते हैं। इसे कमतर बनाने की कई कोशिशें हुईं मगर हमने इसे एकजुटता के दिन के रूप में मनाना जारी रखा। कार्ल मार्क्स की रहनुमाई में 1864 में प्रथम इंटरनेशनल ने 8 घण्टे के काम के आंदोलन को नयी गतिशीलता दी थी। मजदूरों ने अपने आपको पूंजीवादी शोषण के खिलाफ संगठित करना शुरू किया था। एक मई 1886 को संयुक्त राज्य अमरीका के मजदूरों ने हड़ताल शुरू की थी। चार मई को शिकागो के हे–मार्किट स्कवायर में मजदूरों के प्रदर्शन पर पुलिस ने गोली चलाई और इस घटना के बाद 4 मजदूर नेताओं को फांसी पर चढ़ा दिया गया।

इस घटना ने पूरी दुनिया के मजदूर वर्ग पर गहरा असर डाला था। वे समझ गए थे कि उन्हें समाज के परिवर्तन की लड़ाई लड़नी होगी।

एंगेल्स की अगुवाई में 1890 में द्वितीय इंटरनेशनल ने एक मई के दिन को दुनिया भर में मजदूर वर्ग की एकजुटता के दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तब से लेकर आज तक मई दिवस हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है।

साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण के दौर में आज दुनिया भर के मजदूर हमले का शिकार बने हुए हैं। उनके अधिकार छिन रहे हैं उनकी जायज मजदूरी से उन्हें वंचित किया जा रहा है। विकासशील देशों के लिए भूमण्डलीयकरण ने कुछ भी भला नहीं किया है। रोजगार की सम्भावनाएं और वेतन दोनों नीचे की ओर गए हैं। पूंजी निर्माण के नाम पर किए गए श्रम कानूनों के उल्लंघन की वजह से उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। गरीब और गरीब हुए हैं, रईसों की रईसी और बढ़ी है। धनी साम्राज्यवादी देश विकासशील देशों की मार्किट हड़प रहे हैं।

आइएमएफ, विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ जैसे संगठन विकासशील देशों पर दबाव डाल रहे हैं कि वे भूमण्डलीयकरण को मानें। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। मगर विश्व बैंक के मुख्य आर्थिक परामर्शदाता और राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद के चेयरमैन जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने अपनी किताब "ग्लोबलाइजेशन एण्ड इट्स डिस्कन्टेंट्स" में असली चेहरा उजागर कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि आइएमएफ (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश) धनी एवं औद्योगिक देशों के दबाव में, उनके स्वार्थों के लिए ही काम करता है। यह उन नीतियों में प्रदर्शित होता है जिन के आधार पर इन वित्तीय संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। ....महत्त्वपूर्ण पदों पर वित्तीय बिरादरी से जुड़े लोग नियुक्त किए जाते हैं अपनी बिरादरी के स्वार्थों की वे अच्छी तरह से सेवा करते हैं और उसके बाद मोटी तनख्वाहों के साथ अपनी पुरानी जगह पर वापस लौट जाते हैं।

भूमण्डलीयकरण की शोषक प्रकृति दिनों दिन बेनकाब होती जा रही है। यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से मैंने आग्रह किया था कि वे इस किताब को पढ़ें और साम्राज्यवादी साजिशों से सतर्क रहें।

अमरीकी साम्राज्यवाद न केवल भूमण्डलीयकरण के माध्यम से बल्कि हथियारबंद हस्तक्षेप से भी दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाने में लगा हुआ है। अपना राज कायम करने के लिए इसने इराक और अफ़गानिस्तान में अनगिनत मासूम लोगों की किस तरह हत्याएं कीं; एक फर्जी मुकद्दमें के बाद इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को इसने कैसे फांसी दी; दुनिया की जनता ने इसे दहशत के साथ देखा है। इसके बाद अब अमरीका ईरान, उत्तरी कोरिया, सीरिया और फिलिस्तीन पर किसी न किसी बहाने हमला करना चाहता है।

मगर हमें खुशी है कि विश्व समुदाय की जन भावनाएं इस सबके विरुद्ध होती जा रही हैं। यूरोप में, यहां तक कि अमरीका में भी अधिकांश लोग बुश प्रशासन की युद्ध नीतियों का समर्थन नहीं करते। यही वजह है कि हाल ही में हुए सीनेट एवं कांग्रेस के चुनावों में बुश की पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा।

लातिनी अमरीकी देशों में भी प्रतिरोध बढ़ रहा है। वेनज़ुएला, उरूग्वे, अर्जेनटाइना, ब्राजील, बोलिविया आदि देशों में अमरीका विरोधी वामपंथी जीत कर आए हैं। इन देशों की सरकारें साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण को मानने से साफ इन्कार कर रही हैं और वैकल्पिक रास्तों पर चल रही हैं। विकल्प के इस आंदोलन के पीछे क्यूबा की ताकत है। भारत में हमने यूपीए से कहा है कि वे अमरीका के आगे झुके नहीं। उसकी बातें सुनने की बजाए स्वतंत्र विदेश नीति पर चलें।

साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण की वजह से हमारे देश के मजदूर किसानों की जिंदगी भी प्रभावित हुई है। अब वे उत्पादन में वृद्धि के जरिए विकास की बात कर रहे हैं। मगर आम आदमी को इससे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। यह एक "रोजगारविहीन" बढ़त है। बेरोजगारी बढ़ रही है। मुद्रास्फीति को रोकने में केन्द्र सरकार असफल रही है। कृषि क्षेत्र में संकट इतना तीव्र हो गया है कि कई वर्षों के बाद इस साल गेहूं का आयात करना पड़ रहा है। सब्सिडियों में कटौती के चलते कृषि की लागत बढ़ी है जबकि इसके विपरीत कोई नियंत्रण न होने की वजह से किसानों को उनकी पैदावार के समुचित दाम नहीं मिल रहे हैं। कई राज्यों से बड़ी संख्या में किसानों द्वारा आत्महत्याएं किए जाने की खबरें मिल रही हैं। केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आइसीडीएस व परियोजनाओं आदि की अनदेखी कर रही है। हाल के बजट में ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए आबंटित की गई जिलावार राशि में कटौती की गई है।

हमने काफी चिंता के साथ नोट किया है कि कांग्रेस नीत यूपीए साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अमल के मामले में गम्भीर नहीं है। हमने इस सरकार का समर्थन इस साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर ही किया है। यह चिंता की बात है कि यूपीए उसी को लागू नहीं कर रहा। खासतौर से मजदूरों के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हमले की जद में हैं। 1990 से ही हम वामपंथी, केन्द्र में बैठी सभी सरकारों से मांग करते आ रहे हैं कि वह खेत मजदूरों तथा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के हितों की रक्षा करने वाला एक समग्र कानून लेकर आए। देश के 93 प्रतिशत मजदूर इस असंगठित क्षेत्र में ही आते हैं। उन्हें पूरे वर्ष काम नहीं

मिलता। उनकी ड्यूटी के लिए काम के घण्टे निर्धारित नहीं हैं। भविष्य निधि, डाक्टरी भत्ता या अन्य कोई भी सामाजिक सुरक्षा उन्हें मिली हुई नहीं है।

असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए बनाए गए राष्ट्रीय आयोग ने इन मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों की सिफारिश की है। मगर केन्द्रीय सरकार ने इसके बारे में कोई कानून नहीं बनाया। इसके विपरीत उनके अधिकांश अधिकारों में कटौती की जा रही है। श्रम कानूनों को नर्म किया जा रहा है ताकि मालिकों को "लगाओ–भगाओ" (हॉयर एण्ड फॉयर) का हक मिल सके। नियोजक मजदूरों की प्रोवीडेंट फण्ड की राशि जमा नहीं करते और साफ़ बच निकलते हैं। अब कानूनों में फेरबदल करके सरकार पेन्शन के अधिकार को वापस ले रही है। इस कदम को रोकने के लिए, हम वामपंथी, संसद और उसके बाहर पूरी ताकत से विरोध कर रहे हैं।

पूंजीवादी शोषण को और अधिक तीखा करने के लिए श्रमिकों के ट्रेड यूनियन बनाने और हड़ताल के अधिकार को भी छीनने की कोशिश की जा रही है। तमिलनाडु की एआइडीएमके सरकार ने तो हड़ताल करने के कारण सरकारी कर्मचारियों को सजा तक दे दी थी। दुःख की बात यह है कि न्यायालय तथा न्याय विभाग भी आज हड़ताल के खिलाफ फैसले सुना कर मजदूरों की लड़ाई के इस अंतिम हथियार यानी हड़ताल के अधिकार को छीनने की बात कर रहा है। मैंने अपना राजनीतिक जीवन ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता की हैसियत से शुरू किया था। मैं दृढ़ता के साथ विश्वास करता हूं कि हड़ताल हर जगह, हर समय नहीं होनी चाहिए। हड़ताल मजदूरों की लड़ाई का अंतिम हथियार है। पहले चर्चाओं के माध्यम से मजदूर और मालिक को अपने विरोधों का निपटारा करना चाहिए। लेकिन अगर जरूरी होता है तो हड़ताल करनी ही पड़ेगी। हड़ताल का अधिकार मजदूरों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसी तरह से अपने आप को संगठित करने का अधिकार या ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार भी मजदूर कभी नहीं छोड़ सकता।

ट्रेड यूनियन का अर्थ केवल नकारात्मक ही नहीं है इसके कई सकारात्मक पहलू भी हैं। श्रमिकों द्वारा लड़ाई के माध्यम से यह जो अधिकार मजदूर को मिला है इसे छीनने के हर प्रयास के खिलाफ सीआइटीयू को अन्य सभी श्रमिक संगठनों को साथ लेकर, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। इसके साथ–साथ श्रमिकों को यह भी ख्याल रखना पड़ेगा कि उत्पादन के काम में कोई नजर अंदाजी या रुकावट नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन के मामले में अगर कोई समझौता हुआ है तो उसका पालन करना तथा औद्योगिक क्षेत्र में अनुशासन और काम का वातावरण बनाए रखना होगा। भारत में केवल पश्चिम बंगाल में ही हम वामपंथियों ने राज्य सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार दे रखा है। यद्यपि पिछले तीन साल में ऐसी एक भी हड़ताल नहीं हुई। क्योंकि चर्चाओं के माध्यम से हम लोग अर्थात् सरकार और सरकारी कर्मचारी अपनी सभी समस्याओं का निपटारा करने में कामयाब रहे।

बंगाल में उद्योग लगाने के मामले में हम लोगों को केन्द्र सरकार की ओर से लगातार रुकावटें ही मिलीं। 1977 से ही हम कोशिश कर रहे थे कि बंगाल में नए–नए उद्योग बने। परन्तु केन्द्र सरकार ने अपनी तरफ से लायसेंस न देकर बहुत से उद्योगों को बंगाल में आने से रोका। सालों तक कई बेबुनियादी कारण दिखाकर केन्द्र सरकार ने बंगाल में औद्योगीकरण को रोके रखा। बक्रेश्वर विद्युत परियोजना तथा हलदिया पेट्रोकेमिकल (Haldia Petrocam) को लगाने के मामले में केन्द्र सरकार ने अनुमति देने में ही कई साल लगा दिए। बंगला देश की सीमा से लगे होने की वजह दिखा कर कोलकाता के साल्टलेक में इलैक्ट्रोनिक उद्योग बनाने की इजाजत नहीं दी गई। मैंने इंदिरा गांधी को पत्र लिख कर इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के बारे में लिखा था। लेकिन उनके अधिकारी बंगला देश से लगी सीमा की वजह से वहां उद्योग बनाने की इजाजत न देने के फैसले पर अडिग रहे। आज इसी साल्टलेक में कई इलेक्ट्रानिक्स उद्योग लग गए हैं, जहां हजारों लोग काम कर रहे हैं। आज हलदिया पेट्रोकैम एक अच्छी खासी लाभजनक संस्था के रूप में काम कर रही है। सारांश यह है कि केन्द्र की सरकार की नीतियों के कारण बंगाल में औद्योगीकरण के प्रयासों को काफी पीछे धकेला गया और उस समय हमारी हर कोशिश के बावजूद भी उद्योग के लिए आर्थिक निवेश नहीं हो पाया।

1990 के दशक में केन्द्र की तरफ से लायसेंस देने की प्रथा खत्म हो जाने के बाद गैर सरकारी पूंजी को बंगाल में लाकर उद्योगों को बढ़ावा देने का मौका हमारे पास आया। 1994 में मैंने राज्य सरकार की तरफ से विधान सभा में हमारी नयी उद्योग नीति की घोषणा की थी। औद्योगीकरण के लक्ष्य को सामने रखते हुए इस नीति की घोषणा की गई थी। आज भी उसी उद्देश्य से, उसी नीति के अनुसार, बंगाल सरकार औद्योगीकरण के रास्ते पर चल रही है। पर बंगाल में अशांति और अस्थिरता फैलाना जिनका उद्देश्य है ऐसे विरोधी, औद्योगीकरण के रास्ते की रुकावटें बने हुए हैं। जनता में झूठा प्रचार करके उनको भड़काने की कोशिश हो रही है। कुछ ऐसे लोग भी इसमें जुट गए हैं जो निर्दोष लोगों की हत्या करने से भी हिचकते नहीं हैं। इनका मुकाबला करने के लिए हमें जनता के पास जाना पड़ेगा। और उनको सत्य और स्टीक तथ्यों से अवगत कराना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि क्यों औद्योगीकरण करना हमारे लिए इतना आवश्यक है ताकि बढ़ते हुए बेरोजगारों को काम करने के लिए उचित मौका मिले। बंगाल की जनता इन चीजों को समझती है और वह कभी इस तरह की अस्थिरता एवं अशांति फैलाने के काम में जुटे विरोधियों की औद्योगीकरण विरोधी आवाज को समर्थन नहीं देगी।

मई दिवस पर जब हम मजदूरों के अधिकार के लिए लड़ने वाले शहीदों को याद करते हैं तब हमें श्रमिकों की राजनीतिक चेतना बढ़ाने पर भी जोर देना होगा। श्रमिकों की राजनीतिक चेतना बढ़ने से ही ऐसे एक संग्राम की अगुवाई की भूमिका ले पाएंगे जिस संग्राम से एक वर्गहीन, शोषणहीन समाज का गठन करना सम्भव होगा। ऐसे समाजवादी समाज का गठन करना ही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए समय लग सकता है। इस संग्राम के लिए काफी रास्ता तय करना बाकी है। देश के अधिकांश श्रमजीवी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जिनको संगठित करना होगा। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित बनाने के लिए सीआइटीयू ने जो अभी कार्यक्रम दिया है वह इस दिशा में एक अच्छा कदम है। मैं आशा करता हूं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने में सफलता हासिल होगी।

(मई दिवस के अवसर पर 'गणशक्ति' में प्रकाशित सीआइटीयू के उपाध्यक्ष कामरेड ज्योति बसु के लेख के प्रमुख अंश।)

मई दिवस

दुर्गापुर में ट्रंक रोड पर स्थित ठेका मजदूर यूनियन के कार्यालय में एक विशाल रैली आयोजित हुई। यह सीआइटीयू के दिवंगत महासचिव कामरेड चित्तब्रत मजुमदार के नाम पर निर्मित एक विशाल आडिटोरियम के उद्घाटन का अवसर भी था। दुर्गापुर स्टील प्लांट के ठेका मजदूरों ने 400 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता और अन्य सुविधाओं से लैस इस आडिटोरियम का निर्माण कराया है। जिसका उद्घाटन सीआइटीयू के अध्यक्ष कामरेड एम के पन्धे ने यूनियन कार्यालय पर लाल झण्डा फहराकर और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पितकर किया और रेखांकित किया कि *मजदूर वर्ग पर बढ़ते हुए हमलों की समस्याओं और एनसीएमपी में प्रतिबद्ध वादों को पूरा कर पाने में यूपीए सरकार असफल रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मजदूरों का क्रोध हर जगह बढ़ रहा है। उन्होंने मजदूरों को आह्वान किया कि वे अपनी एकता को मजबूत करें जिससे सीआइटीयू स्वतः ही मजबूत हो जाएगा।* पश्चिम बंगाल किसान सभा के महासचिव समर बोरा भी रैली के मुख्य वक्ता थे। **इस विशाल रैली में कामकाजी महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।**

उड़ीसा में भुबनेश्वर, कटक, राउरकेला, पुरी, कयोंझार, बारबिल, सम्बलपुर, आंगुल, राजगढ़ और बहुत–से प्रमुख शहरों और औद्योगिक केन्द्रों में मई दिवस मनाया गया। लाल झण्डे लहराए गए और रैलियों का आयोजन किया गया।

तमिलनाडु में लगभग सभी स्थानों पर एटक के साथ मिल कर संयुक्त रूप से मई दिवस मनाया गया। मजदूर बस्तियों में रैलियों, जलसों एवं जुलूसों का आयोजन किया गया। यद्यपि इन कार्यक्रमों में एटक की उपस्थिति आंशिक रही थी।

हिमाचल प्रदेश के सभी औद्योगिक केन्द्रों और नगरों में इस दिन ही प्रदेश सरकार की ओर से अवकाश की घोषणा नहीं की गई थी किन्तु पण विद्युत परियोजनाओं जहां सीआइटीयू की यूनियनें सक्रिय हैं, प्रबंधकों को यूनियन के दबाव में आकर छुट्टी की घोषणा करनी पड़ी। कुल्लू, मण्डी, शिमला, किन्नौर, चम्बा, शिमला इत्यादि जिलों में पण विद्युत परियोजनाओं का काम पूरी तरह बंद रहा।

छत्तीसगढ़ में समान विचारों वाले दूसरे श्रमिक संगठनों के साथ मिल कर राज्य के अनेक भागों में मई दिवस समारोहों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ज्वलंत मुद्दों पर मजदूरों में पर्चे बांटे गए और पोस्टर चिपकाए गए। बालको में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।

पूरे **पंजाब** में इस अवसर पर सीआइटीयू तथा समान विचारधारा वाले श्रमिक संगठनों ने विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों और जिला मुख्यालयों में रैलियां और प्रदर्शन आयोजित किए। इन रैलियों में हजारों मजदूरों, ने हिस्सा लिया जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाएं भी शामिल हैं। चण्डीगढ़ में एक भव्य रैली निकाली गई। यह रैली सीआइटीयू के मुख्यालय चीमा भवन से शुरू हुई और विभिन्न सेक्टरों से होती हुई सेक्टर 17 के स्थानीय बस अड्डा पर पहुंच कर जन सभा के रूप में तबदील हो गई।

राजस्थान में जयपुर समेत सीकर, झुंझनूं, खेतड़ी, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, रावतभाटा, कोटा, इटावा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, अजमेर तथा किशनगढ़ इत्यादि में हर कारखाने में मजदूरों ने मई दिवस के अवसर पर रैली निकाली और सभा इत्यादि का आयोजन किया। इसके अलावा यूनियन और सीआइटीयू कार्यालयों तथा कारखाना गेटों पर लाल झण्डे फहराए गए।

नयी दिल्ली में पिछले वर्षों की भांति एक जुलूस रामलीला मैदान से चला और पुरानी दिल्ली के क्षेत्रों से होते हुए टाउन हाल पहुंच कर जन सभा में तबदील हो गया जिसे सभी वामपंथी श्रमिक संगठनों के नेताओं ने सम्बोधित किया। सीआइटीयू की ओर से उसके राष्ट्रीय सचिव दीपंकर मुखर्जी ने इस अवसर पर मजदूरों को सम्बोधित करते हुए विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध कराने में असफल रही यूपीए सरकार की आलोचना की।

फरीदाबाद में विभिन्न श्रमिक संघों की ओर से नीलम–बाटा चौक में एक रैली का आयोजन किया गया। सभा के बाद मजदूरों ने शहर में जुलूस निकाला और अपनी मांगों के पक्ष में नारे लगाए।

उत्तर प्रदेश में मेरठ में सीआइटीयू समेत विभिन्न मजदूर–कर्मचारी संगठनों और जन संगठनों ने संयुक्त रूप से मई दिवस मनाया। इस मौके पर बच्चा पार्क से कलेक्टरेट तक जुलूस निकाला गया जो वहां स्थित कलेक्टरेट मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश के महासचिव दिवंगत कामरेड सुधाकर शर्मा की मूर्ति पर मुकेश कुमार मेश्राम की अध्यक्षता में सभा में बदल गया।

हरियाणा में विभिन्न मजदूर संघों ने रैली निकाल कर सरकार को मजदूर–कर्मचारी विरोधी नीतियों पर तुरंत रोक लगाने की चेतावनी दी। सीआइटीयू, सर्वकर्मचारी संघ, हरियाणा एटक, एचएमएस के संयुक्त आह्वान पर पानीपत की औद्योगिक इकाईयों के हजारों मजदूर हाली पार्क में एकत्रित हुए। यहां से एक विशाल रैली व जुलूस निकाला गया जो शहर के रामलाल चौक, असंध रोड, जी टी रोड इत्यादि मार्गों से होता हुआ बस अड्डे पहुंच कर समाप्त हुआ।

झारखण्ड में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर इंडस्ट्रियल मजदूर यूनियन (सीटू) द्वारा जहां पूरे औद्योगिक क्षेत्र को लाल झण्डों से पाट दिया गया था, वहीं विभिन्न कम्पनियों में काम करने वाले मजदूरों ने लाल झण्डा फहराया और मजदूर आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

त्रिपुरा राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस गरिमापूर्ण ढंग से और समारोहपूर्वक मनाया गया। सभी जगह झण्डे फहराए गए और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

मध्य प्रदेश में रतलाम में बीएसएनएलईयू कार्यालय पर झण्डा वंदन हुआ। शाम के समय एक विशाल रैली निकाली गई जिसे सीआइटीयू की मध्य प्रदेश राज्य समिति के महासचिव बादल सरोज तथा दूसरे नेताओं ने सम्बोधित किया। इस मौके पर एसडीएम को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भेंट किया गया।

बिहार में बेगुसराय में सीआइटीयू और उससे सम्बद्ध संगठनों ने जोशो–खरोश के साथ मई दिवस मनाया। सुबह सीआइटीयू के जिला कार्यालय बी टी रणदिवे भवन में लाल झण्डा फहराया गया। इस अवसर पर सीआइटीयू की राज्य समिति के सचिव गणेश शंकर सिंह की अध्यक्षता में सैंकड़ों लोगों की एक सभा हुई जिसे सीआइटीयू नेता सुरेश प्रसाद सिंह और आंगनवाड़ी नेता आशा देवी इत्यादि नेताओं ने सम्बोधित किया। शाम के समय डाकघर कार्यालय में एकजुटता रैली का आयोजन किया गया।

पश्चिम बंगाल में वामपंथ सरकार के ३० वर्ष

पश्चिम बंगाल में 21 जून 2007 को वामपंथ सरकार ने सत्ता में आए हुए 30 वर्ष पूरे कर लिए है। तीस साल से लगातार एक राज्य में वामपंथ सरकार का सत्ता में रहना सांकेतिक उपलब्धि है। सभी राज्यों में एंटी इंकम्बेंसी के कारण सरकार लगातार बदलती रहती है, परन्तु केवल पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जिसमें तीस वर्षों से एक ही सरकार सत्ता पर कायम है। ऐसा केवल मजदूर वर्ग के समर्थन से ही संभव हो सका है, क्योकि पश्चिम बंगाल की वामपंथ सरकार की नीतियां व कार्यक्रम मजदूर वर्ग के हित में है। इस दीर्घ समय अवधि में वामपंथ सरकार ने भू अधिग्रहण को लागू किया और त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली तथा नगरपालिकाओं तक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके जनहितकारी शासन का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे मिलियनों ग्रामीण निर्धनों को लाभ पहुंचा है और उनकी स्थित पहले से बेहतर हो गई है। वामपंथ सरकार का पश्चिम बंगाल में प्रभाव पड़ रहा है और देश में जनतांत्रिक कार्यप्रणाली और तरककी के लिए वामपंथ सरकार मजबूत स्त्रोत बन रही है।

बीड़ी मालिकों के अनुचित दबाव और केन्द्र के अन्यायपूर्ण कानून दोनों के खिलाफ संघर्ष किया जाएगा-सीआइटीयू की घोषणा

सिगरेट एवं तम्बाकू के दूसरे उत्पादों (निषेधाज्ञा इत्यादि) अधिनियम 2003 बन जाने के फलस्वरूप बीड़ी उद्योग में संटक की एक विशेष स्थिति पैदा हो गई है और देश भर में कई लाख बीड़ी श्रमिकों पर इसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अधिनियम के विशेष अनुच्छेदों में 'कानूनी चेतावनी' का प्रावधान किया गया है; व्यावहारिक तौर पर इस 'कानूनी चेतावनी' पर अमल किया ही नहीं जा सकता। किन्तु इसने बीड़ी उद्योग को भयानक सीमा तक अलाभकारी स्थिति में धकेल दिया है और सेवायोजकों की ओर से इसका पूरा बोझ लाखों श्रमिकों के कंधों पर डाला जा रहा है। सीआइटीयू के नेतृत्व वाली फैडरेशन सहित बीड़ी श्रमिकों के सम्पूर्ण आंदोलन ने अधिनियम के इस तरह के कुछ अनुच्छेदों जो न केवल अव्यावहारिक हैं अपितु उन पर अमल किया ही नहीं जा सकता, का विरोध किया है। अधिनियम में इस तरह के अव्यावहारिक प्रावधानों में संशोधन करने की मांग करते हुए तपन सेन संसद सदस्य ने 27 अप्रैल, 2007 को राज्य सभा में निजी विधेयक पेश किया था। दूसरी ओर बीड़ी उद्योग के नियोक्ता चाहते हैं कि इस अधिनियम को पूरी तरह खारिज कर दिया जाए। बीड़ी श्रमिकों की संयुक्त संघर्ष समिति पहले ही इसके खिलाफ आंदोलन चलाती रही है और भविष्य में भी संघर्ष करने की योजना बना रही है। बीड़ी मालिकों की एसोसिएशन ने 5 मई 2007 से पूरे देश में उद्योग में एक तरह से तालाबंदी कर रखी है; उन्होंने यह कदम हड़ताल को बहाना बना कर उठाया है; यह हड़ताल खुद बीड़ी मालिकों की एसोसिएशन ने की थी और प्रधान मंत्री से कुछ आश्वासन मिलने पर उसने इसे वापस ले लिया था और इस तरह यह हड़ताल 11 मई तक जारी रही थी। आल इंडिया बीड़ी वर्कर्स फैडरेशन ने बीड़ी मालिकों की इस तथाकथित हड़ताल का विरोध किया था जिसके दुष्परिणामस्वरूप लाखों बीड़ी श्रमिकों को अपनी आय की क्षति झेलनी पड़ी थी। इससे पूर्व फैडरेशन ने इस स्थिति पर पूरे विस्तार में विचार विमर्श करके यह फैसला किया था कि इस मुद्दे पर नियोक्ता एसोसिएशन के साथ संयुक्त मंच में शामिल न हुआ जाए और ट्रेड यूनियन मंच से अपने संघर्ष को जारी रखा जाए। सीआइटीयू ने फैडरेशन के इस फैसले का अनुमोदन किया था। अब विभिन्न केन्द्रों से इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं कि बीड़ी मालिकों की एसोसिएशन बीड़ी श्रमिकों तथा उनकी यूनियनों पर अपने मंच में शामिल होने के लिए दबाव डाल रही है और इसके लिए उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके साथ ही बीड़ी मालिक 1 जून, 2007 से उद्योग को बंद करने की धमकियां भी दे रहे हैं। बीड़ी श्रमिकों के आंदोलन को मालिकों के इस दबाव और उत्पीड़नकारी हथकण्डों का डट कर मुकाबला करना होगा। उन्हें अपनी दस सूत्रीय मांगों जिनका निर्धारण संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से पहले ही किया जा चुका है, पर संयुक्त संघर्ष चलाना होगा। दस सूत्रीय मांगों में सम्बन्धित अधिनियम से उन अव्यावहारिक और अमल न किए जाने योग्य प्रावधानों को हटाने की मांग भी शामिल है जिनके अन्तर्गत बीड़ी उत्पादों पर 'कानूनी चेतावनी' का प्रकाशन किया जाता है।

इसी बीच आल इंडिया बीड़ी एण्ड सिगार वर्कर्स यूनियन के महासचिव कामरेड मोहम्मद निजामुद्दीन ने केन्द्रीय श्रम मंत्री को लिखे एक पत्र में इन्हीं बिन्दुओं को छूते हुए उनसे बीड़ी मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए मौजूदा स्थिति में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है।

सीटू जनरल काउंसिल का आह्वान

1. **19 जून को बोनस मांग दिवस मनाओ :** गणना तथा पात्रता सीमा को बढ़ाने के लिए बोनस भुगतान अधिनियम में संशोधन करते हुए फौरन अध्यादेश जारी करने की मांग के लिए सभी कार्य स्थलों पर प्रदर्शनों के आयोजन के माध्यम से देश भर में मांग दिवस मनाया जाना चाहिए। इस सिलसिले में प्रधान मंत्री तथा श्रम मंत्री को तार भी भेजे जाने चाहिएं।

2. **10 जुलाई को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सेविकाओं की देशव्यापी हड़ताल :** एकजुटता कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए इस हड़ताल को पूरा समर्थन दिया जाना चाहिए।

3. **8 अगस्त को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल :** सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन के दिशा–निदेशों के अनुसार बैठक ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए फौरन एक सर्वसमावेशी कानून बनाने की मांग करते हुए एक देशव्यापी हड़ताल आयोजित करने का निर्णय लिया। 8 अगस्त 2007 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की जाएगी। हड़ताल के दिन हड़ताली मजदूरों द्वारा ब्लॉक, जिला तथा उप–मण्डलीय मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन तथा धरने आयोजित किए जाएंगे या फिर जबरदस्त लामबंदी सुनिश्चित करने के लिए हड़ताली मजदूरों के लिए अन्य कार्यक्रम किए जाएं।

4. गत 18 अप्रैल को मजदूर–किसान संयुक्त कार्यक्रम के बाद संयुक्त अभियानों तथा आंदोलन का आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए आगामी सितम्बर महीने के पहले सप्ताह के दौरान नयी दिल्ली में सीआइटीयू और मित्र श्रमिक संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा तथा अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन एक राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित करेंगे। सीआइटीयू केन्द्र, अखिल भारतीय किसान सभा तथा अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के साथ विचार विमर्श करने के बाद शीघ्र ही इस कन्वेंशन की तिथि का निर्धारण करेगा।

5. ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति द्वारा सूत्रबद्ध किए गए 16 सूत्रीय मांग पत्र पर और यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ हड़ताल समेत संयुक्त अभियान तथा आंदोलन का आगे का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए आयोजन समिति में दूसरे केन्द्रीय श्रमिक संगठनों तथा फैडरेशनों के सथ विचार विमर्श करने के लिए सीआइटीयू शीघ्र ही पहल करेगा।

6. सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में वेतन बढ़ोतरी के सातवें चक्र से सम्बन्धित मांगों पर और डी ई पी द्वारा जारी किए गए मजदूर विरोधी दिशा–निदेशों के खिलाफ गत 11 मार्च की सीपीएसटीयू कन्वेंशन द्वारा स्वीकार की गई घोषणा के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तमाम इकाईयों में देशव्यापी हड़ताल की कार्रवाई करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय श्रमिक संघ तैयारी अभियान तथा आंदोलन चालाएंगे।

7. व्यापक स्तर पर संविदाकरण के दृष्टिगत सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन के निर्णय के अनुसार संविदा श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम में संशोधनों के लिए श्रमिक संगठनों के वैकल्पिक प्रस्तावों को जल्द से जल्द सूत्रबद्ध करने के लिए संविदा श्रमिकों की एक अखिल भारतीय कन्वेंशन आयोजित करने के लिए सीआइटीयू पहल करेगा।

8. जनरल कौंसिल ने सीआइटीयू के संस्थापक महासचिव और भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन के दिग्गज कामरेड पी राममूर्ति का जन्मषती वर्ष, जो 23 सितम्बर 2007 से शुरू हो रहा है, संगठन के हर स्तर पर सघन शैक्षणिक तथा विचारधारात्मक अभियान चलाने के जरिए शानदार ढंग से मनाने के सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन द्वारा लिए गए फैसले को दोहराया। यह प्रस्ताव किया गया है कि कोलकाता में एक जबरदस्त लामबंदी के साथ जन्मशती वर्ष की शुरूआत हो और 23 सितम्बर 2008 को चेन्नै में इसी तरह की जबरदस्त लामबंदी के साथ इसका समापन हो। एक वर्ष के भीतर नयी दिल्ली में पी राममूर्ति श्रमिक शिक्षण एवं शोध संस्थान स्थापित करने के फैसले को सीआइटीयू अंतिम रूप देगा। तीन क्षेत्रों – पूर्वी, दक्षिणी तथा हिन्दी भाषी राज्यों के लिए सीआइटीयू केन्द्र ट्रेड यूनियन स्कूलों का आयोजन करेगा। देश में श्रमिक आंदोलन के समक्ष उपस्थित विचारधारात्मक तथा सांगठनिक मुद्दों पर सीआइटीयू केन्द्र साहित्य का प्रकाशन भी करेगा। कामरेड पी राममूर्ति की स्मृति को समर्पित खण्ड और सीआइटीयू की पत्रिकाओं के विशेषांक प्रकाषित किए जाएंगे, जिनमें देश के श्रमिक आंदोलन के लिए कामरेड पी राममूर्ति के योगदान तथा उनके जीवन से सम्बन्धित लेख होंगे। राज्यों और उद्योगों के स्तर पर संगोष्ठियों, ट्रेड यूनियन कक्षाओं और स्मृति व्याख्यानों इत्यादि का आयोजन किया जाएगा।

9. सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन ने एक साल के भीतर संगठन की सदस्य संख्या 50 लाख तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा था, उसे पूरा करने के लिए सभी राज्य समितियां जोरदार पहल करेंगी। सीआइटीयू की पत्रिकाओं की प्रसार संख्या को कम से कम यूनियन स्तर के कार्यकर्ताओं और समिति सदस्यों की संख्या जितना बढ़ाने के लिए गम्भीर प्रयास किए जाएंगे।

10. पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार के तीस साल पूरे होने के अवसर पर विभिन्न रूपों के जरिए तीन महीने लम्बा सघन देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। इस सिलसिले में सीआइटीयू केन्द्र जल्द ही एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेगा।

के हेमलता द्वारा, अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू) के लिए, ए–13, राउस ऐवेन्यू, नई दिल्ली से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21, झिलमिल इंडस्टीयल एरिया, जी टी रोड, शाहदरा दिल्ली–95 से मुद्रित